पंचम माला, खंड 53, अंक 1 सोमवार, 21 जुलाई, 19 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LIII, No. 1 Monday, July 21, 1975 / Asadha 30, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
...gated
On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

. T LIBRARY
274 (6)
3.10.75

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated Version in a Summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1273 LS—1

विषय सूची /Contents

अंक 1, सोमवार, 21 जुलाई, 1975/30 आषाढ़, 1897 (शक)

No. 1, *Monday, July* 21, 1975/*Asadha* 30, 1897 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGE
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members . . .	क—ञ
सभा के अधिकारी	Officers of the House	ट—
मंत्रिमंडल के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों की सूची	List of Members of Cabinet, Minister of State and Deputy Ministers	ठ—ढ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References—	
(श्री डी० पी० धर, श्री बी० एन० मंडल तथा श्री रामचन्द्र जे० अमीन का निधन)	(Deaths of Sarvashri D. P. Dhar, B.N. Mandal and Ramachandra J. Amin) . . .	1—3
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	3—15
सभापति तालिका के सम्बन्ध में घोषणा	Announcement *Re.* Panel of Chairman ..	15—16
सत्र के दौरान निष्पादित किये जाने वाले कार्य तथा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी कुछ नियमों के निलम्बन के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Motion *Re.* Business to be taken up in the Session and suspension of Certain Rules of Procedure	16—24
श्री के० रघु रामैया	Shri K. Raghu Ramaiah	16
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indra jit Gupta	16—19
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmode Sequeria	19
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	19
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	20—21
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	21
प्रो० शिब्बन लाल सक्सैना	Prof. S. L. Saksena	21
श्री खेमचन्द भाई चावड़ा	Shri K. S. Chavda	22
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	22
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee. . . .	22—23

विषय	SUBJECT	PAGE
आपात स्थिति की उद्घोषणा के अनुमोदन के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolutions *Re.* Approval of Proclamation of Emergency	25—49
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	25—27
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	27—32
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	32—33
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	33—36
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	36—38
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	38—41
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	41—43
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	43—45
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . . .	45—47
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta	47—48
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	48—49
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member .	
(श्री नरेन्द्र सिंह)	(Shri Narendra Singh)	49

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूच्चिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्म नीपुर)
पाटिल, श्री अान्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिक लाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० व० (खरगांन)
बरूआ, श्री बेदव्र (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदांयू)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रावर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अररिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० वी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फ़ूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री राबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(ह)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री .	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

1273 LS—2

शिक्षा श्रौर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री श्ररविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि श्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात श्रौर खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण श्रौर श्रावास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि श्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति श्रौर पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा श्रौर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 21 जुलाई, 1975/30 आषाढ़, 1897 (शक)

Monday, July 21, 1975/Asadha 30, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे तीन सहयोगियों श्री डी० पी० धर, श्री बी० एन० मण्डल, श्री रामचन्द्र जे० अमीन के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है जिनका गत सत्र की समाप्ति के बाद देहान्त हुआ ।

श्री डी० पी० धर हमारे देश के एक अग्रणीय राजनीयक और संसद्-विज्ञ थे और विभिन्न उच्च पदों पर आसीन रहे । वह एक वकील थे और 1934 में स्वतंत्रता आन्दोलन में शामिल हुए तथा कई बार जेल गये । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951—56 के दौरान जम्मू और काश्मीर संविधान सभा के सदस्य, 1956—61 तक जम्मू और काश्मोर विधान सभा के सदस्य और 1961—68 के दौरान जम्मू और काश्मीर विधान परिषद् के सदस्य रहे। वह लगभग आठ वर्ष तक जम्मू और काश्मीर सरकार में मंत्री रहे । 1949, 1951, 1966, 1967 और 1970 में संयुक्त राष्ट्र महा सभा में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य थे ।

1969 में श्री धर को सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और साथ-साथ मंगोलिया में भी राजदूत रहे । उनके कार्य-काल के दौरान भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों में बहुत सुधार हुआ । दोनो देशों ने एक दूसरे की विदेश नीति और राजनीतिक विचारधारा को समझा तथा दोनों देशों के बीच शान्ति, मित्रता और सहयोग की सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये । बंगला देश की मुक्ति के दौरान उन्होंने इस नाजुक स्थिति को बड़ी योग्यता से सम्भाला । 1971 में वे विदेश मंत्रालय मे नीति निर्धारण समिति के सभापति नियुक्त किये गये । भारत-पाकिस्तान के बीच हुए ऐतिहासिक शिमला समझौते की वार्ता में भारत प्रतिनिधि-मंडल के नेता थे । 1972 में वे योजना मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये । इस वर्ष के आरम्भ में वे सोवियत संघ में भारत के राजदूत नियुक्त किये गये। जब वे मंत्री थे तो सभा की कार्यवाही में उन्होंने कई बार भाग लिया तथा अपने सुन्दर व्यक्तित्व एवं भाषण शैली से सबको प्रभावित किया । भारत सरकार से सलाह लेने वे भारत आये थे

कि वे बीमार पड़ गये और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अचानक ही 12 जून, 1975 को 57 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु से भारत ने एक महान् देशभक्त, संसद्-विज्ञ खो दिया।

श्री बी० एन० मण्डल 1962—64 के दौरान सहरसा निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। 1957—62 के दौरान वे बिहार विधान सभा के सदस्य थे। 1966 और 1972 में वे राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनका अधिकांश जीवन भारत में समाजवादी आन्दोलन में बीता और वे भारत के समाजवादी दल के वरिष्ठ सदस्य तथा कुछ समय तक इसके सभापति रहे। 30 मई 1975 को 71 वर्ष की अवस्था में मधीपुरा (बिहार) में उनका निधन हुआ।

श्री रामचन्द्र जे० अमीन 1967—70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। वे भूतपूर्व बड़ौदा विधान सभा के सदस्य रहे और 1948-49 में वहां मंत्री रहे। 1949-52 में वे बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने अपने राज्य गुजरात में बहुत सामाजिक कार्य किया। वे गुजरात में अर्थ-शास्त्र और समाज शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। 24 जून, 1975 को 83 वर्ष की अवस्था में उनका देहान्त हुआ।

इन मित्रों के निधन पर हमें गहरा शोक है और मैं समस्त सभा के साथ उनके दुखी परिवारों को अपनी संवेदना भेजते हैं।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a Short-while

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हमने गत सत्र की समाप्ति पर यह निर्णय किया था कि व्यवस्था सम्बन्धी सब प्रश्न एक समिति को जो उस समय नियुक्त की गई थी, सौंपे जायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : साधारणतया निधन सम्बन्धी उल्लेख के बाद प्रश्न काल आता है। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पहले ही रखा गया है। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुच्छेद 13 के अधीन अध्यक्ष कार्यसूची की मदों पर चर्चा करने के लिए दिन नियत करते है **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : यह छोटा सत्र है और केवल सरकारी कार्य के लिए है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह छोटा सा अधिकार है अन्यथा हमारे सभी अधिकार और विशेषाधि-कार समाप्त हो जाते हैं **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इस बारे में विस्तार से पहले ही कह चुका हूं। यह सामान्य सत्र नहीं है। यह केवल सरकारी कार्य के लिये है।

श्री पी० के देव (कालाहांडी) : कार्यसूची के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 118 की ओर दिलाता हूं **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रश्नों के लिए कोई समय नहीं है।

श्री पी० के० देव : महोदय जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है सभा की सारी कार्यवाही प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार होनी है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

श्री पी० के० देव : आप प्रश्नकाल को समाप्त कर सकते हैं किन्तु जहां तक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अध्यादेश, 1975, भारतीय रक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1975 और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1975

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1). संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1975 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 4)

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 1975 को प्रख्यापित भारतीय रक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 5)

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई, 1975 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 6)

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 15 जुलाई, 1975 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का संख्या 7)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 9753/75]

रिचर्ड सन एंड क्रूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन तथा अन्तरण) नियम, 1974 जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता की वर्ष 1973–74 और रिचर्ड एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, बम्बई की 31–3–74 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं, श्री ए० सी० जार्ज के ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1972 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन तथा अन्तरण) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 147 (ङ) में प्रकाशित हुये थे तथा उनका शुद्धि पत्र जो दिनांक 25 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 186 (ङ) तथा दिनांक 1 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 296 (ङ) में प्रकाशित हुआ था [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी० 9754/75]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी० 9755/75] ।

(ख) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, बम्बई, के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, बम्बई, का 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुये वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी० 9756/75] ।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड 31-3-1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवदन ।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं निम्नलिखित पत्न सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुये वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्नक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल०टी० 9757/75]

अन्डमान और निकोबार प्रशासन का 1973-74 के लिए वार्षिक सामान्य प्रतिवेदन, जांच आयोग का सदर बाजार के दंगों के बारे में प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन और संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1975

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं, श्री ओम मेहता की ओर से, निम्नलिखित पत्न सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अन्डमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1973-74 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी० 9758/75] ।

(2) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सदर बाजार के दंगों के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन (1974)

(दो) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ।

[**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी० 9759/75] ।

(3) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 मई, 1975 के भारत के राजपत्न में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 594 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 9760/75] ।

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋण, आयकर (संशोधन) नियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1975, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं । अतारांकित प्रश्न संख्या 7635 के 25-4-75 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने का विवरण और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं, श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी तथा स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी) (संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 12 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 253(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राधिकरण कर्मचारी) (संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 12 मई, 1975 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 254 (3) में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्य एल० टी० 9761/75] ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों सम्बन्धी अधिसूचना संख्या एफ० 4(2)–डब्ल्यू एण्ड एम/75 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 9762/75] ।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेज संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 'सा० आ० 295(ङ) में प्रकाशित हुये थे । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 9763/75] ।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 जन, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 328 (ङ) में प्रकाशित हुये थे । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 9764/75] ।

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 571 जो दिनांक 10 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 306(ङ) जो दिनांक 29 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 311(ङ) जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 317(ङ) जो दिनांक 3 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 699 जो दिनांक 7 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 700 जो दिनांक 7 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 702 और 703 जो दिनांक 7 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 362–क(ङ) जो दिनांक 28 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० सां० नि० 369(ङ) जो दिनांक 30 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 9765/75]

(6) (एक) गिरफ्तारियों से बच रहे तस्करों के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु के अतारांकित प्रश्न संख्या 7635 के 25 अप्रैल, 1975 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुये बिलम्ब के कारण बताने वाले विवरण । [ग्रंथालय में रखो गई । देखिए संख्या एल० टी० 9766/75]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) क एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 279(ङ), जो दिनांक 15 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 283(ङ) जो दिनांक 19 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 298(ङ), जो दिनांक 27 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 299(ङ) से सा० सां० नि० 302(ङ), जो दिनांक 27 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 303(ङ), जो दिनांक 27 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 318 (ङ) और 319(ङ), जो दिनांक 3 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 322(ङ), जो दिनांक 5 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 706, जो दिनांक 7 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 707 जो दिनांक 7 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०सां०नि० 326 (ङ), जो दिनांक 9 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०सां०नि० 732 जो दिनांक 14 जून 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०सां०नि० 766 और 767, जो दिनांक 21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०सां०नि० 285 (ङ), जो 30 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०सां०नि० 373 (ङ), जो 1 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०सां०नि० 397 (ङ) जो दिनांक 3 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी 9767/75]

केन्द्रीय भांडागार निगम (संशोधन) नियम, 1975

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :- भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डागार निगम (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 683 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9768/75]

मद्रास और परमुगाव पत्तन न्यास के 1973–74 के वार्षिक लेखे और व्यापार पोत (पोत टन भार माप) संशोधन नियम, 1975

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1973–74 के वार्षिक लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) परमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1973–74 के वार्षिक लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[**ग्रंथालय में रखी गई ।** देखिए संख्या एल० टी० 9769/75]

(2) व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत व्यापार पोत (पोत टनभार माप) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 मई, 1975 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 639 में प्रकाशित हुए थे ।

[**ग्रंथालय में रखी गई ।** देखिए संख्या एल० टी० 9770/75]

भारत में बहुराष्ट्रीय फर्मों के बारे में दिनांक 17–12–74 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4921 और भारत में विदेशी कम्पनियों के बारे में दिनांक 25–2–75 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1057 के उत्तरों को शुद्धि

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (1) भारत में बहुराष्ट्रीय फर्मों और उनके हित के बारे में डा० एच० पी० शर्मा और श्री सी० के० चन्द्रप्पन के अतारांकित प्रश्न सख्या 4921 के 17 दिसम्बर, 1974 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने और उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

(2) भारत में विदेशी कम्पनियों के बारे में डा० एच० पी० शर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1057 के 25 फरवरी, 1975 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने और उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

[**ग्रंथालय में रखी गई ।** देखिए संख्या एल० टी० 9771/75]

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत होम्यो-पैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 611 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[**ग्रंथालय में रखी गई ।** देखिए संख्या एल० टी० 9772/75]

गुजरात में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने की उद्घोषणा नागालैण्ड विधान सभा क विघटन करने सम्बन्धी राष्ट्रपति के आदेश आयुध (संशोधन) नियम 1975, भारत रक्षा नियम का सिक्किम पर लागू किया जाना 25.6.75 को जारी की गई आपात स्थित की उद्घोषणा आदि

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 1 जून, 1975 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अधीन गुजरात राज्य के सम्बन्ध में फरवरी, 1975 को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है, जो दिनांक 18 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 336(ङ) में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी 9773/75]।

(2) नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई दिनांक 22 मार्च, 1975 की राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ख) के अधीन 20 मई, 1975 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये नागालैंड विधान सभा का विघटन करने वाले आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 मई 1975 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 286 (ङ) में प्रकाशित हुआ था [ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 9774/75]

(3) आयुध अधिनियम 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अधीन आयुध (दूसरा संशोधन) नियम 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 मई 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 653 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9775/75]

(4) अधिसूचना संख्या सां०आ० 219 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति दिनांक 16 मई 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारत रक्षा नियम 1971 को सिक्किम राज्य पर लागू किया गया है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9776/75]

(5) संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 25 जून 1975 को जारी की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा की एक प्रति जो अनुच्छेद 352 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत दिनांक 26 जून 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 353 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित हुए थीं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9777/75]

(6) संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (4) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश की एक प्रति जिसके द्वारा जून 25 1975 को

जारी की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू किया गया है तथा जो दिनांक 29 जून, 1975 के भारत के राजपत्र (अंग्रेजी संस्करण) तथा दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र (हिन्दी संस्करण) में अधि सूचना संख्या सा०सां०नि० 366 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9778/75]

(7) भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 35 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत रक्षा (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 1 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र (अंग्रेजी संस्करण) तथा दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र (हिन्दी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 394 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) नियम, 1975, जो दिनांक 6 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र (अंग्रेजी संस्करण) तथा 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र (हिन्दी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 398 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9779/75]

(8) संविधान के अनुच्छेद 359 के खण्ड (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 338 (ङ) जो दिनांक 20 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 694 (ङ) में प्रकाशित राष्ट्रपति आदेश की अवधि बढाई गई है।

(दो) सा०सां०नि० 361 (ङ) जो दिनांक 27 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें राष्ट्रपति का वह आदेश दिया हुआ था जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अन्तर्गत 3 दिसम्बर, 1971 और 25 जून, 1975 को जारी की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा की अवधि में कतिपय मूलभूत अधिकारों को निलम्बित किया गया है।

(तीन) सा०सां० नि० 367 (ङ) जो दिनांक 29 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 जून, 1975 की अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 361 (ङ) में प्रकाशित आदेश जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू किया गया है।

ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9780/75]

मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उपज उपकर (संशोधन) नियम, 1975 के अधीन अधिसूचना

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : : मैं श्री प्रभुदास पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन मध्य प्रदेश, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष, 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 9781/75]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 395(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 396 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति जो दिनांक 3 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 9782/75]

(4) उपज उपकर अधिनियम, 1966 की धारा 22 के अन्तर्गत उपज उपकर (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 308 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 9783/75]

लोक सभा में दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण :—

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 34	बारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

(दो) विवरण संख्या 29	चौथा सत्र, 1972
(तीन) विवरण संख्या 20	पांचवां सत्र, 1972

(चार) विवरण संख्या 22	सातवां सत्र, 1973
(पांच) विवरण संख्या 16	आठवां सत्र, 1973
(छः) विवरण संख्या 14	नौवां सत्र, 1973
(सात) विवरण संख्या 15	दसवां सत्र, 1974
(आठ) विवरण संख्या 8	ग्यारहवां सत्र, 1974
(नौ) विवरण संख्या 7	बारहवां सत्र, 1974
(दस) विवरण संख्या 3	तेरहवां सत्र, 1975
(ग्यारह) विवरण संख्या 4	तेरहवां सत्र, 1975
(बारह) विवरण संख्या 5	तेरहवां सत्र, 1975
(तेरह) विवरण संख्या 6	तेरहवां सत्र, 1975

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9784/75]

दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अधीन दिल्ली, विकास प्राधिकरण के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9785/75]

भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973-74 के लेखापरीक्षित लेखे

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रंथालय में रखा गया।** देखिए संख्या एल० टी० 9786/75]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रंथालय में रखा गया।** देखिए संख्या एल० टी० 9787/75]

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1975

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 824 में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रंथालय में रखी गई।** देखिए संख्या एल० टी० 9788/75]

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का वर्ष 1971-72 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई का वर्ष 1973-74 वार्षिक प्रतिवेदन, 1972 से 1974 तक के प्रमाणित लेखे और उन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के वर्ष 1971-72 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

(2) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद के वर्ष 1973–74 वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय मे रखे गए देखिए** संख्या एल० टी० 9789/75]

(5) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1972–73 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[**ग्रथालय में रखे गए देखिए** संख्या एल० टी० 9790/75]

सभापति तालिका के सम्बन्ध में घोषणा

ANNOUNCEMENT *RE*: PANEL OF CHAIRMAN

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि प्रक्रिया नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मैंने श्री भागवत झा आजाद, श्री एच० के० एल० भगत, श्री इसहाक सम्भली, श्री वसन्त साठे, श्री सी० एम० स्टीफन और श्री जी० विश्वनाथन को सभापतियों की तालिका में नामनिर्दिष्ट किया है।

सत्र के दौरान निष्पादित किये जाने वाले कार्य तथा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सबंधी कुछ नियमों के निलम्बन के सबंध में प्रस्ताव

MOTION *RE*: BUSINESS TO BE TAKEN UP IN THE SESSION AND SUSPENSION OF CERTAIN RULE OF PROCEDURE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि चुंकि लोक सभा का वर्तमान सत्र कतिपय अविलम्बनीय और आवश्यक सरकारी कार्य को निष्पादित करने हेतु बुलाया गया एक आपातकालीन सत्र है, इसलिए इस सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य ही लिये जाये तथा कोई भी अन्य कार्य जैसे प्रश्न, ध्यान आकर्षण और गैर-सरकारी सदस्य का कोई अन्य कार्य सभा में प्रस्तुत अथवा निष्पादित न किया जाये तथा इस विषय में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के सभी सगत नियमो को एतद्द्वारा उस सीमा तक निलम्बित किया जाता है ।"

यह अपूर्व स्थिति है और यह सत्र मुख्यत: सरकारी कार्य के लिए बुलाया गया है। यही संकल्प में कहा गया है। इसके पूर्व दृष्टांत हैं।1962 और 1971 में भी आपातकालीन स्थिति में अन्य कार्य निलम्बित किया गया था ; इस समय भी प्रत्येक व्यक्ति प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित आर्थिक योजना की क्रियान्विति में व्यस्त है। पिछले सत्रों में सरकारी कार्य के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। अतः सभा इसके लिए अपना समर्थन दे।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : सभा के समक्ष प्रस्ताव है । हम उस पर विचार व्यक्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था के प्रश्न के लिए केवल दो या तीन मिनट दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) कुछ के व्यवस्था के प्रश्न हो सकते हैं और कुछ प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। वह नियम निलंबित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी व्यवस्था के प्रश्न पर दो मिनट से अधिक नहीं लगने चाहिए ।यदि व्यवस्था के प्रश्न महत्वपूर्ण हुए तो नियम को निलंबित करने का प्रश्न ही नहीं होगा। पर इस पर वाद-विवाद नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सत्र में केवल सरकारी कार्य निष्पादित होगा तथा गैर-सरकारी सदस्य इस सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं लायेंगे तथा लोक सभा की प्रक्रिया के सभी संगठन नियम इस सीमा तक निलंबित माने जायेंगे।

इस सम्बन्ध में विशिष्ट नियम हैं तथा नियम विशेष को निलंबित करने हेतु प्रस्ताव होना चाहिए तथा अध्यक्ष की अनुमति इसके लिए जरूरी है, पर इस प्रकार का निरपेक्ष उपबन्ध नहीं किया जा सकता। इस विषय पर जो नियम हैं उनका अनुपालन होना चाहिए। सभा में कार्य आने से पहले ही नियमों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस बारे में प्रस्ताव कार्यसूची में शामिल होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय द्वारा 30 नवम्बर, 1965 को दी गई व्यवस्था के अनुसार सभा का शेष कार्य, जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है, नियम (क) के निलम्बन हेतु सभा के समक्ष कार्य' नहीं माना जायेगा। इसलिये यह प्रस्ताव उचित नहीं है। आप इसे पेश करने की अनुमति न दें।

श्री सेझियान : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता तथा जिस रूप में इसे पेश किया गया है वह भी उचित नहीं है। यद्यपि यह सभा अपनी कार्यवाही करने में सर्वोपरि है, पर इसे भी कुछ नियमों और कार्यविधियों का अनुसरण करना होता है। जब तक प्रक्रिया सम्बन्धी नियम समाप्त नहीं किये जाते तब तक हमें उनके अनुसार ही कार्यवाही करनी होगी।

नियम 388 ही इस विषय में संगत नियम है। इसके अनुसार कोई नियम विशेष किसी प्रस्ताव विशेष पर लागू होने से निलम्बित किया जा सकता है। जो नियम निलम्बित किये जा रहे हैं उनका उल्लेख प्रस्ताव में होना चाहिए। एकमुश्त निलम्बन अनुचित है। फिर जब आप ने व्यवस्था दे दी है कि इस आपात सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा तो मन्त्री इसे अपने प्रस्ताव में शामिल क्यों कर रहे हैं। इसे स्पष्ट किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह आपातकालीन सत्र केवल एक सप्ताह के लिये बुलाया गया है। हमारे पास प्रश्नों के लिये अपेक्षित समय नहीं है। इसलिये प्रश्नकाल नहीं रखा गया है। हो सकता है कि एक या दो दिन के बाद प्रश्न आने लगें। इसीलिये श्री रघुरामैया ने इसे प्रस्ताव में शामिल किया है।

Shri Jagannathrao Joshi: This time the meeting of General Purposes Committe was not covered. This is clearly a departure of accepted principales.

संसदकी गोपनीय बैठक का उपबन्ध है पर आपात बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर सामान्य प्रयोजन मिति में विचार किया जाना चाहिए था।

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : हम नियमों में संशोधन कर सकते हैं, उन्हें समाप्त कर सकते हैं पर इसका अर्थ यह नहीं कि नियम बनाने की निर्धारित प्रक्रिया को हम तिलांजलि दे दें। यह प्रस्ताव अनुच्छेद 118(1) के अधीन नहीं आता इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री पी० के देव (काला हांडी) : संसदीय कार्य मन्त्री इस सभा की महत्वपूर्ण और अवशिष्ट शक्ति की आड़ में इस प्रस्ताव को लाना चाहते हैं। सत्ताधारी दल के पास स्पष्ट बहुमत है। वे कुछ भी कर सकते हैं। आप ही हमारे लोकतान्त्रिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, इस प्रकार एकदम से कई नियमों को निलम्बित करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): The motion proposed to be adopted does not indicate the rule or rules to be suspended. No reason has also been given for the suspension of rules. It is a vague motion. It should be worded clearly. The ruling party is in majority. It can have any motion passed. But the same can be challenged in future. Therefore there should be no ambiguity in the wording of the motion. If the Government is going to do wrong things with its majority, the future and we people will not forgive them.

अध्यक्ष महोदय : अब और कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। मंत्री जी ने अनुच्छेद 118 के अधीन यह प्रस्ताव पेश किया है। और इसके लिये उन्हें मेरी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। प्रस्ताव आप के सामने है। आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं आप को सलाह दूंगा कि आप अध्यादेश पर विचार के दौरान अपना भाषण कर सकते हैं। मैं व्यवस्था देता हूं प्रस्ताव उचित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस प्रस्ताव का इन कारणों से विरोध करते हैं। अध्यादेश आदि के अनुमोदन के लिए आपात सत्र बुलाने की बजाय सामान्य वर्षाकालीन सत्र बुलाया जाना चाहिए था जिसमें सरकार का यह महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित किया जा सकता था। आपात सत्र बुलाने के लिये कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हमारे विचार से संसद् के सत्र का अभिप्राय आर्थिक कार्यक्रमों में बाधा डालना नहीं है अपितु उनके कार्यान्वयन में मदद करना है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को संसद् के प्रति यह सही दृष्टिकोण नहीं है। इससे संसद् की महत्ता घटी है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस आपात सत्र के लिए जो कार्य निश्चित किया गया है वही कार्यसूची में लाया जाना चाहिए। पर यदि सरकार इस मामले में विरोधी दलों से भी परामर्श कर लेती तो अच्छा होता। यहां गैर सरकारी सदस्यों के कार्य, प्रश्न आदि पर जो रोक लगाई गई है उसमें परिवर्तन किया जा सकता था। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही सभा में कोई मामला उठाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अंकुश लगे हुए हैं कि सभा का समय छोटी-छोटी बातों में नष्ट न किया जाय।

यह सत्र सात दिन के लिए बुलाया गया है। इस आपात स्थिति में देश में इन सात दिनों के भीतर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। जनता ने हमें यहां भेजा है। पर हम आपात स्थिति से सीधा सम्बन्ध रखने वाले मामले भी यहां नहीं उठा पायेंगे। यहां तक कि अल्प सूचना प्रश्न भी नहीं पूछ सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए था और अध्यक्ष की अनुमति से विशेष मामलों में, अल्प सूचना प्रश्न या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या अन्यथा अत्यधिक महत्वपूर्ण मामलों को सभा में उठाने की अनुमति होनी चाहिए थी। मुझे इस बात की आशंका है कि अब यह कहा जा सकता है कि चूंकि विरोधी दल इस व्यवस्था से सहमत हैं इसलिए इसे भावी सत्रों के लिए एक उदाहरण बना लिया जाय। पर हम यह भी नहीं चाहते कि जिस प्रकार की घटनाएं संसद् में पहले होती रही हैं वे अब भी जारी रहें।

संसद् के कुछ प्रक्रिया नियम हैं। हमें उन नियमों का अनुपालन करना चाहिए। मैं मंत्री जी से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि, जैसा कि उन्होंने कहा यह सत्र किसी विशेष और सीमित

प्रयोजन के लिए बुलाया गया है, भविष्य के लिये उदाहरण नहीं बनेगा तथा भविष्य में प्रश्न करने, ध्यान आकर्षित करने, अल्प सूचना प्रश्न पूछने, आदि के सदस्यों के अधिकार छीने नहीं जायेंगे। इन अधिकारों को समाप्त करने पर हमारे जैसे संसद् में कुछ नहीं बच जाता है।

श्री इराज्मु द सेक़ैरा (मारमागोआ) : मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि गैर-सरकारी सदस्य सभा में कोई कार्यवाही न करें और केवल मंत्रियों को ही बोलने की इजाजत दी जायेगी तो आप कह दें कि हम बाहर चले जायें।

(श्री बसंत साठे पीठासीन हुए)

(Shri Vasant Sathe in the Chair)

यह कहना कठिन है कि सरकार संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है। उसने तो संसद् की वास्तविक भावना का मजाक बना दिया है। संसद् का अस्तित्व जितना संविधान पर निर्भर है उतना ही परम्पराओं पर। इस प्रस्ताव के स्वीकार किये जाने से संसद् स्वयं ही एक मजाक बन जायेगी।

श्री मोहन धारिया (पूना) : यदि सरकार संसद् को अधिक उद्देश्यपरक बनाना चाहती है और कार्य निष्पादन करवाना चाहती है तो मैं कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समझ सकता हूं। मैं 1971 से ही यह कहता आया हूं, कि संसद् के सत्र सात मास की बजाय तीन मास के लिए ही होने चाहिए अनेक अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं को समाप्त किया जाना चाहिए जैसे विधेयक का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। हम संसदीय समितियों के माध्यम से बेहतर काम कर सकते हैं। पर इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब मंत्री जी कहते हैं कि आपात स्थिति और आर्थिक कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए परिवर्तन आवश्यक हैं। उन्हें इन कार्यक्रमों को लागू करने से किसने रोका था? मैं संसदीय कार्य में सभी सम्भव परिवर्तन लाने का आग्रह करता रहा हूं। संसद् सदस्यों की सेवाओं का देश में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता है। सरकार विरोधी पक्ष को भी विश्वास में लेती। सभी नियमों और विनियमों को ताक में रख कर जिस प्रकार यह प्रस्ताव लाया जा रहा है उससे संसद् का सरकार के समक्ष समर्पण ही प्रदर्शित होता है। **(व्यवधान)** क्या मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी यह बतायेंगे कि सामान्य वर्षाकालीन सत्र क्यों नहीं बुलाया गया? हम अधिक उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण कार्यों के लिए संसद् का उपयोग करने की बात पर विचार कर सकते हैं। संसद् का सत्र बुलाते हुए नियम 388 को समाप्त करने का यह तरीका नहीं है। आपातकालीन समय में संसद् की कार्यवाही में सुधार लाने के लिए समुचित उपाय किये जाने चाहिए। प्रशासन में भी सुधार लाया जाना चाहिए। इसके लिए सक्रिय योगदान करने में मुझे खुशी होगी। पर संसद् और प्रेस के साथ व्यवहार का यह तरीका नहीं है। पता चला है कि जो कुछ यहां होता है उसे प्रेस को नहीं बताया जाता है।

नियम 248 के अन्तर्गत गोपनीय सत्र बुलाने की बात समझ में आती है **(व्यवधान)**। इस सभा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है और यहां निर्णय लेने से पहले जिस प्रकार प्रेस को सूचित किया जा रहा है वह सत्तावादी शासन के अलावा कुछ नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस प्रस्ताव के तकनीकी पहलुओं पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि देश में इस आपात स्थिति के दौरान इससे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। इस प्रस्ताव में इस सत्र की बात कही गई है। "आपात सत्र" शब्दों का प्रयोग शायद पहली बार हुआ है। नियमों में सामान्य सत्र या गोपनीय सत्र की व्यवस्था है। आपात के समय संसद् का गोपनीय सत्र होता है और प्रेस या अधिकारियों के पास कुछ नहीं जाता तथा सदस्य मुक्त रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पर यह आपात सत्र असाधारण है। इसका दृष्टान्त नहीं है। दूसरा, इस प्रस्ताव में जो शब्दावली प्रयुक्त हुई है, वह स्पष्ट नहीं है। इसे जानबूझ कर अस्पष्ट रखा गया है, ताकि वह कार्य भी सभा में न लाया जा सके जिस पर इस प्रस्ताव में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

तीसरे, प्रस्ताव में कहा गया है "सभी संगत नियमों"। परन्तु नियमों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और इसके लिए कोई व्यापक क्षेत्र नहीं होना चाहिए।

संसदीय-कार्य मंत्री ने इस प्रस्ताव को पेश करने के बाद अपने संक्षिप्त व्याख्यात्मक भाषण में गत दो सत्रों और विशेष रूप से गत सत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकारी समय तो सरकारी कार्य के लिये ही उपलब्ध नहीं था और अधिकांश समय विरोधी पक्षों के दांव-पेंचों आदि में बीता है। मेरा कहना है कि यह सभा एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न दलों के भिन्न-भिन्न मतों और विचारधाराओं के लोग आते हैं और अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं। इस सभा को अभी भी संसद् कहते हैं जिसका मतलब होता है एक ऐसा क्लब, जहां बातचीत या चर्चा होती है। सरकारी सदस्य कुछ कहते हैं और विभिन्न विचारों के लोगों को सभा में अपने भिन्न विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होता है। अब यदि कुछ लोग बातचीत में नहीं भाग लेते हैं परन्तु शोर मचाते हैं तो मेरा कहना यह है कि विरोधी पक्ष ही शोर नहीं मचाता है, सरकारी पक्ष की ओर से भी होहल्ला होता है। इसे भी रिकार्ड में रखा जाना चाहिए कि दोनों ही पक्ष शोरगुल करते हैं। यदि यह बातचीत और चर्चा करने का स्थान तो म जानना चाहता हूं कि मंत्री जो यह बहाना क्यों करते हैं कि गत सत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण, असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई और हमारे ऊपर ये प्रतिबन्ध लगाते हैं? क्या मंत्री महोदय स्वयं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? क्या सरकार इस स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है? अतः बेहतर तो यह होता कि मंत्री यह प्रस्ताव रखते कि व्यवधानों की अनुमति नहीं मिलेगी अथवा विरोधी दलों को दांव-पेंचों की अनुमति नहीं मिलेगी। मेरा कहना है कि विरोधी पक्ष का कार्य तो विरोध करना है परन्तु ऐसा करते हुए इसका कार्य विरोध करना और विकल्प पेश करके बैठ जाना है, परन्तु व्यवधान करना नहीं। इसके साथ ही संसद् एक ऐसा स्थान है जिसमें सरकार भी शासन करती है और हुक्म नहीं चलाती है। यदि सरकार हुक्म चलाती है तो विरोधी पक्ष बाधा डालने को बाध्य होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्री जी ने समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने एक सड़ियल बहाना बनाया है और संसद् का उपहास किया है, क्योंकि जहां स्वतंत्र रूप से वाद-विवाद होता है जिसके लिये हमें गर्व है, उस स्थान को एक बन्द दुकान का रूप दे दिया गया है। इसी कारण मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। कांग्रेस पक्ष के मेरे मित्र अधीर हो रहे हैं। वे बहुमत में हैं। सरकार और प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन में अब तक उन्होंने वह सब किया जो कुछ वे करना चाहते थे और करते भी रहेंगे। यह जरूरी नहीं कि हर समय बहुमत ही सही हो और चूंकि आज वे बहुमत में हैं तो मैं उनसे और सरकार से यह कहता हूं कि बहुमत

के साथ-साथ आपके पास सत्य और बुद्धि भी है। संसदीय लोकतंत्र का उत्तर सत्ता का अभिमान नहीं है।

सभापति महोदय : जहां तक व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं काफी सुन चका हूं और मैं विनिर्णय दे रहा हूं कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होगा। जहां तक चर्चा का सम्बन्ध है, मैं एक या दो सदस्यों को और अनुमति दूंगा (**व्यवधान**)।

श्री एम० ए० शमीम : (श्रीनगर) : सभापति महोदय, इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने प्रश्न काल के सम्बन्ध में एक विशिष्ट अधिकार के निलंबन के विरोध में अपने जो विचार व्यक्त किये हैं उनको सुनकर मुझे हंसी आती है। वे इस बात को नहीं समझते हैं कि स्थिति बदल गई है। देश की स्थिति बदली है। मैं प्रधान मंत्री का बड़ा आभारी हूं जो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है और दोष विरोधी दलों का है कि वे स्थिति को नहीं समझे। हमारा जन्म एक भिन्न भारत में हुआ है। इस संसद् की बैठक भी एक भिन्न भारत में हो रही है। फिर भी माननीय सदस्य खड़े होकर कहते हैं कि उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है। माननीय सदस्य इस बात का विरोध करते हैं कि वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं रख सकते। वे रेडियो नहीं सुन रहे हैं और वे सेंसर किये गये समाचारपत्र नहीं पढ़ रहे हैं। बड़ी-बड़ी बातें हो गई हैं। प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि आपात स्थिति से पहले की स्थिति सामान्य स्थिति नहीं थी। उन्हें आपात स्थिति उद्घोषणा पर चर्चा करनी है।

Prof. S. L. Saksena (Maharajganj): I have never heard and read such a motion in the history of the Parliament of any Democracy.

I have a great respect for the Prime Minister. But I am sorry to state that she has brought forward such a motion which is highly improper. If this motion is passed, Parliament will be made a mockeny. I strongly oppose this motion. I have given a privilege motion regarding release and calling of our 21 members who are not in the House but in jails, so that they can participate in the proceedings of the House. I do not know as to whether my motion will be taken up or not.

I advise the Prime Minister to call a normal Session. She has done very good work and still she is doing the best and I praise her for it. I would like to know why she did not do this work during the last ten years which she is doing at present? The Economic programme should have been implemented during the last ten years. I fully support the programme announced by her. I wish her success in implementing this programme, but it is not good that some persons have been arrested. I want that House should discuss important matters of the country freely.

With these words I oppose the motion.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : समूचा विरोधि पक्ष उस पूर्ण प्रतिबन्ध का विरोध करता है । मेरे विचार में इस प्रस्ताव से संसद् की सर्वोच्चता समाप्त हो गई है । मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इसका विरोध करें ।

मैं एक निवेदन करूंगा । इस सभा की वादविवाद क्षमता बहुत कम हो गई है । विरोधी दल के अनेक बड़े बड़े और लोकप्रिय नेता जेल में हैं । उन्ह 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है । क्या आप सरकार को निदेश देंगे कि उन्हें शीघ्र रिहा कर दिया जाये, जिससे वे इस सभा की कार्यवाही में भाग ले सकें ? मैं श्री रघुरामैया के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं संसदीय कार्य मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आज भी जब आपात स्थिति जारी है और जब कि प्रधान मंत्री के आह्वान का श्रमिकों ने समर्थन किया है, तथा मिल मालिक और नियोक्ता क्या कर रहे हैं ? जबरन छुट्टी और तालाबन्दी के कारण हजारों श्रमिक बेकार हो गये हैं । अब मंत्री जी हमें बतायें कि हम इस मामले को कैसे उठायें ? कानपुर में 20,000 श्रमिक बेकार हैं । पश्चिम बंगाल में लाखों श्रमिक प्रभावित हुए हैं । यदि मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश नहीं कर सकता तो इस पर चर्चा कैसे की जा सकेगी ? हमें ज्ञात है कि प्रश्न काल समाप्त किया जा चुका है । परन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो लिया जा सकता है । अल्पसूचना प्रश्न समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिये लिये जा सकते हैं । अन्यथा हम इन बातों पर कैसे चर्चा करे सकेंगे ? इन मामलों को कैसे उठाया जाये ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं इसे पैशाचिक मानता हूं जो संसद पर थोपा जा रहा है ।

आपात स्थिति तो 1971 में घोषित की गई थी, जिसका संसद ने अनुमोदन किया था और जो अभी भी जारी है । संविधान के अन्तर्गत आपात शक्तियां पहले ही ली जा चुकी हैं और सरकार में निहित हैं । अब आपात स्थिति किस लिये है । यह नेताओं की गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराने के लिये है । यदि यह प्रस्ताव पास हो जायेगा तो देश और संसद का दुर्भाग्य होगा । यह संसद नाम मात्र की रह जायेगी । जब आपात स्थिति के नाम पर कर्मचारियों की आवाज को दबाया जा रहा हो, जब उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा हो, जब प्रेस भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो का एक अंग बन गया हो और संसद के सीमित कार्य को नष्ट किया जा रहा हो तब हम इन प्रश्नों को इस सभा में नहीं उठा सकते ।

इस समय यह बताना जरूरी है कि संसद के कृत्य क्या हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भुला दिया गया है और इन मामलों में जब कि संसद का अस्तित्व और इसका भविष्य खतरे में है, सत्तारूढ़ दल के सदस्य देश के लिये नहीं, अपितुअपने दल और अपने नेता के लिये पक्षपातपूर्ण रवैया

अपना रहे हैं। क्या आप कानून के शासन को मजाक बनाना चाहते हैं ? जो कि हमारे संविधान का मूलभूत शासन माना जाता है।

अब वे लोगों को देश की ऐसी तस्वीर देना चाहते हैं कि स्थिति ऐसी बन गई है कि संसद का नियमित सत्र भी नहीं हो सकता, लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, निर्वाचित प्रतिनिधि बेकार ही हैं।

विरोधी दल के अनेक प्रमुख सदस्यों को नजरबन्द किया गया है। उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। उन्हें यह भी पता नहीं कि उनका अपराध क्या है। हमारे देश में आज जंगल का कानून लागू किया जा रहा है। यह आश्वासन बार बार दिया गया कि आंसुका का प्रयोग राजनीतिक मामले में नहीं किया जायेगा। परन्तु इसकी कोई परवाह नहीं की गई।

जब लोग मेरे पास यह कहने के लिये आते हैं कि उनको यह कठिनाई है, उनको वह शिकायत है और वे चाहते हैं कि इसके बारे में मैं सरकार से प्रश्न करूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि श्री रघुरामैया ने ऐसा प्रस्ताव पेश किया है और मेरे हाथ बंध गये हैं, मुंह बन्द कर दिया गया है। आपने संविधान को अपना खिलौना बना लिया है। आज मैंने समाचारपत्रों में देखा है कि आप संविधान में संशोधन पेश करने जा रहे हैं, जिसका मतलब होगा कि सरकार को और शक्तियां प्रदान करना। मैं जानना चाहता हूं कि आवश्यक परिवर्तनहेतु हमने किस प्रगतिशील विधान पर आपत्ति की है। आप एक भी उदाहरण दीजिये। गत सत्र के दौरान क्या हुआ ? क्या आप यह इन्कार करेंगे कि पांडिचेरी लाइसेंस कांड एक न्यायसगत मामला था ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप सीमा से अधिक बढ़ रहे हैं। **(व्यवधान)** मैंने आपको संक्षिप्त भाषण के लिये अनुमति दी थी और लम्बे भाषण के लिये नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मेरा सविनय निवेदन यह हैं कि आपातस्थिति में भी संसद का कार्य लोकतंत्रीय अधिकारों को बनाये रखना ही नहीं है अपितु इनको सुदृढ़ बनाना भी है। संसद सदस्यों की गिरफ्तारी करके संसद् को 21 दिन को समाप्त करने और संसदीय परम्पराओं का पालन करने के संसद के अधिकार में संसद को वंचित करने का प्रयास सहन नहीं किया जाना चाहिये और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : : श्री रघुरामैया :

श्रीमती टी० लक्ष्मीकांतम्मा (खम्मम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री के० रघुरामैया : मैंने इन आपत्तियों का पहले ही अनुमान लगा लिया था जिसे विरोधी दल उठा रहे हैं **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब जब कि उत्तर दिया जा रहा है तब व्यवस्था का प्रश्न उठाना व्यवस्था के प्रश्न का दुरुपयोग करना है। कृपया बैठ जायें (**व्यवधान**) आप इसके विरुद्ध मतदान कर सकते हैं। (**व्यवधान**) मुझे पता है कि इस सभा में महिलाओं के क्या अधिकार हैं। (**व्यवधान**) शांत, कृपया शान्त। यदि आप मेरी अनुमति के बिना बोलते रहेंगे तो कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

श्री के० रघुरामैया : महोदय, इन्होंने कहा कि इस संकल्प को पेश करके हम संसद के अधिकार और शक्ति का अवमान कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब माननीय सदस्य बार-बार प्रश्न काल के निलम्बन के लिये संकल्प पेश करते थे, तब क्या उन्होंने अवमान करने की कोशिश नहीं की ? अतः यह दलील भ्रामक है। सभा को यह अधिकार है कि वह इसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अवमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जहां तक श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात का प्रश्न है, मुझे खुशी है कि उनके दल ने आपात स्थिति का समर्थन किया है। परन्तु उन्होंने और उनके दल ने आर्थिक कार्यक्रम को शीघ्र लागू करने के लिए कहा है। हम भी यही चाहते हैं (**व्यवधान**)। कृपया सुनिये। आप मंत्रियों को काम नहीं करने देते। आप सरकार को कोई काम नहीं करने देते। आप इस आर्थिक कार्यक्रम को लागू नहीं करने देना चाहते। आप देश के विकास को रोक देना चाहते हैं। हमें अब अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहिये। यह एक विशेष अवसर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे, बशर्ते आप भी सहयोग दें।

मैं लम्बा भाषण नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमने लगभग सभी बातों को ले लिया है। मैं संकल्प की सभा की स्वीकृति के लिये सिफारिस करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि चूंकि लोक सभा का वर्तमान सत्र कतिपय अविलम्बनीय और आवश्यक सरकारी कार्य को निष्पादित करने हेतु बुलाया गया एक आपातकालीन सत्र है, इसलिये इस सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य ही लिया जाये तथा कोई भी अन्य कार्य जैसे प्रश्न, ध्यान आकर्षण और गैर-सरकारी सदस्य का कोई अन्य कार्य सभा में प्रस्तुत अथवा निष्पादित न किया जाये तथा इस विषय में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के सभी संगत नियमों को एतद्द्वारा उस सीमा तक निलम्बित किया जाता है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	301	विपक्ष में	76
Ayes		Noes	

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

आपात स्थिति की उद्घोषणा के अनुमोदन के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. PROCLAMATION OF EMERGENCY

सभापति महोदय : श्री जगजीवन राम ।

श्री के० एस० चावड़ा : (पाटन) समय निश्चित नहीं किया गया है ।

सभापति महोदय : 6 घंटे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस बारे में तय क्यों नहीं किया गया ?

सभापति महोदय : समय नहीं था । यदि आप चाहते हैं तो इसकी बैठक बुलायी जायेगी । यदि आवश्यक हुआ तो इसे बढ़ा देंगे ।

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Jagjivan Ram): Mr. Chairman, Sir, I move the following Resolution:

> "Thus House approves the Proclamation of Emergency made by the President on the 25th June, 1975, under clause (1) of Article 352 of the constitution as also the order of the President dated 29th June, 1975 made in exercise of powers conferred by Sub-clause (b) of clause (4) of Article 352 of the Constitution as applied to the State of Jammu and Kashmir, applying the said Proclamation to the State of Jammu and Kashmir."

Mr. Chairman, Sir, we have assembled here at a critical juncture in the history of our country. The founding fathers of our constitution had visualised that an Emergency can arise as a result of internal or external threat and had made necessary provisions in the Constitution. This declaration has been made under these relevant provisions of the Constitution:

This Emergency has not been created all of a sudden. The events of the last seven or eight years had to be studied to understand the reasons for this. As a result of the elections in 1967, a number of coalition Governments came into being the some of the States. This led to disorderly behaviour outside as well as inside this House. The dignity and decorum of this House was affected. If also undermined the prestige of the Government. In fact, a deliberate attempt was being made by the opposition parties since then to under using the prestige of the Government so that the Government could be toppled through undemocratic means.

In the politics of our country, the year 1969 was a historic year. Though the events were mostly concerned with the Congress Party, but they did affect the political and economic life of the country.

An effort was also made to put an end to political dissensions within the Congress Party, where a section of members are opposed to the progressive policies of the Congress. It once appeared that all the veteran members of

[Shri Jagjivan Ram]

Congress had left the party and only a few were there who supported Smt. Indira Gandhi. But even at that time, I was convinced that though several leaders had left the party, the masses were with us and this belief was amply proved in the elections of 1971. This is because the Congress expenses the cause of the weaker sections and the exploited classes.

On the other hand this caused despair among those who do not like these policies. Therefore they want to put the Congress out of power. A grand alliance was formed during the election of 1971. All of us are well aware of the results of the elections. During the elections of 1972 also, the masses gave an ample proof of their overwhelming support to the Congress, because they are firmly convinced that only Congress is able to deliver the goods and improve their lot.

I will present before you the analysis of Gujarat situation also.

After that, the non-CPI Opposition Parties of the country felt that it would not be possible to dislodge the Congress from power through democratic means. If you go through the history of Gujarat, you will come to know the course of events there. The students were made to discontinue their studies and the incidence of loot and arson went up. A sensible person will hang his head in shame over these happenings.

There is no provision in our constitution in accordence with which the duly elected representatives may be recalled before the expiry of their term for which they were elected. There is no such provision that the families of the elected represntatives may be gheraoed. Our Constitution has not permitted that the elected representatives may not be allowed to move on the roads or the houses of their supporters may be burnt.

The events that followed are not unknown to anyone. Shri Morarji Desai claims to have faith in Gandhian ideals. He resorted to a fast unto death to demand the dissolution of Gujarat Assembly. I do not know what is that article of the constitution under which this is allowed. The Prime Minister was moved. She did not want that a freedom fighter may become immoral in the history. So she agreed for the dissolution of the Gujarat Assembly.

On the other hand, Shri Jayaprakash Narayan who has announced several times that he will not take part in active politics, spearheaded the movement in Bihar. He observed that there is death of capable leadership in Opposition Parties and he came out to guide the students of Gujarat. He came to the conclusion that Congress can be toppled by using the students. The Opposition parties found a person of great calibre to lead them. Shri Jayaprakash Narayan found that he has become a leader of these various political parties without making my effort. Then a demand was made in Bihar for the dissolution of Bihar Assembly.

It is true that Parliament is Supreme. But the people of India are more powerful than the Parliament. The opposition parties have no faith in the people of India. It has also been said that "Power comes from the barrel of gun". But it has not been said in our constitution. It is stated in it that "power comes from the ballot". But the opposition parties did not have any faith in the democratic means and the people. Therefore, the army and the police were incited to subvert democracy. No Government can tolerate such acts.

But we have to appreciate that the Prime Minister has an excellent sense of time. She gave an ample proof of this during the Bangla Desh crisis. When the opposition parties demanded time and again that the Government should give recognition to Bangla Desh. But it was given recognition only at the appropriate hour. Similarly the undemocratic activities of Shri Jayaprakash Narayan were tolerated for the long time but when it bacame imperative for the Government to put a stop to it, it did so.

There were nefarious plans of the opposition parties to paralyse the Government in the name of railway strike. Had the strike been successful, there would have been complete chaos in the country. The worst victim would have been the weaker sections of the society. Therefore, the Government saw to it that this strike did not succeed.

All these events proved that they went to destroy democracy though they were making tall claims that they wanted to strengthen democracy through total revolution. In India there had been change but no revolutions. They wanted to bring revolution through the barrel of the gun. Therefore, it became necessary to put a stop to such things.

The non-CPI opposition parties ganged up into an allied and chalked out a programme to create chaos in the country by weakening the Government through undemocratic means. So the Congress who has its existence on account of the support of the Indian masses could not tolerate them for a long time. The Congress could not tolerate that persons creating troubles for the people of India may go scot free. Personal freedom is an invaluable thing enshrined in our constitution but if this freedom is turned into permissiveness, then it is the duty of the Government to check it.

A more questionable aspect of their activities was that they used the students as a means to further their ends. So the Government was compelled to take certain measures to curb their activities so as to maintain law and order. This has been done.

A section of the Press wanted to misuse its powers and above the Government. It was misguiding the people. Not only so, the student community was being incited and misled by some papers. We had to put a stop to this. Whenever there are elections, these are electoin petitions also. The opposition were dared at the decision of the Allahabad High Court and they started a propaganda. However, an application was filed in the Supreme Court and the decision of the vocation judge has set at rest many doubts raised by the opposition. The opposition wanted to create disorder and anarchy in the country. Government wanted to save the people of India from all this and, therefore, the emergency was proclaimed. An economic programme was announced which have received full support from the public. I seek the co-operation of the Members of the House to implement this programme and to restore normalcy in the country.

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : सभापति महोदय, श्री जगजीवन राम ने जो कुछ कहा है जिस प्रकार वह बीच-बीच में कभी कभी प्रधान मंत्री की ओर देखते रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनके, अपने विचार नहीं हैं । मुझे मालूम है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसलिये मेरी उनसे सहानुभूति है ।

[श्री ए० के० गोपालन]

स्थिति बड़ी ही गम्भीर है । संसद् के कुछ सदस्य इस समय नहीं हैं । ऐसा नहीं है कि वह अपनी मर्जी से यहां नहीं आये बल्कि इसलिए कि उन्हें नजरबन्द कर दिया गया है । श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके साथियों ने संसद् को एक मज़ाक बना कर रख दिया है । मैं भी एक सप्ताह तक जेल में था । हम जेलों से नहीं घबराते हैं । मैं अपने जीवन काल के 17 वर्ष जेलों में रहा हूं । किन्तु जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार मेरे साथ इन दो दिनों में जेल में किया गया उसका मुझे बड़ा दुःख है । मैंने भूख हड़ताल की । मैंने अध्यक्ष महोदय को तार भेजा तभी जा कर स्थिति में परिवर्तन आया ।

मुझे बड़ा दुःख है कि जो व्यक्ति कांग्रेस सदस्य के रूप में कभी इस देश के स्वतन्त्रता संघर्ष में लड़ा था तथा जिसने कई बार जेल यात्रा की उसके साथ आज जेल में ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है । मुझे और श्री नम्बूदरीपाद को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि सरकार संसार को यह दिखाना चाहती थी कि मार्क्सवादी अथवा वामपन्थी विपक्षी दल के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया गया है । बल्कि केवल प्रतिक्रियावादियों को ही गिरफ्तार किया गया है । चूंकि मैं पहले कांग्रेस में था और बाद में साम्यवादी दल में रहा हूं इसलिये मेरी भी भावनाएं हैं और जेल में मिले व्यवहार से मुझे दुःख हुआ है । अगर मेरे साथी पुलिस को न रोकते तो मेरा सिर फोड़ देते । अतः मेरा सिर तो फूटने से बच गया केवल चोटें ही आईं । काश मेरे साथी मुझे न बचाते और मैं मर जाता । यह मेरे लिए गौरव का विषय होता, कि देश के श्रमजीवियों के हितों के लिये लड़ता हुआ तथा लोकतन्त्र की रक्षा करता हुआ मैं मारा जाता । किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका और मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिये यहां हूं ।

महोदय, यह संसद् का आपातकालीन सत्र 25 तथा 26 जून, 1975 को राष्ट्रपति द्वारा देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये घोषित आपातकाल के अनुसमर्थन सम्बन्धी सरकारी कार्य का संचालन करने के लिये बुलाया गया है । किन्तु विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने से रोका जा रहा है, क्यों ? श्री जगजीवन राम ने चित्र के एक पक्ष को स्पष्ट किया है तो मैं दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करना चाहता हूं । आपातकालीन स्थिति क्यों लागू की गई और विपक्ष इस बारे में क्या सोचता है तथा इस देश में क्या हो रहा है यह मैं बताना चाहूंगा । आप मुझे और समय दीजिए ।

सभापति महोदय : मैं आपके दल को 15 मिनट की अनुमति देता हूं ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : यह एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा है ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं अपनी बात इतने समय में ही कहने का प्रयत्न करूंगा । यह आकस्मिक घोषणा आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी किसी वास्तविक खतरे के कारण नहीं की गई है बल्कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और गुजरात में कांग्रेस की हार के कारण की गई ।

इस देश में 1971 से आपातकालीन स्थिति लागू थी फिर एक दूसरी आपातकालीन स्थिति लागू करने का क्या अभिप्राय है ? इसी आपातकालीन स्थिति के अन्तर्गत ही अधिक

शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था और अखबारों पर सैंसर लगाया जा सकता था। इस आपातकालीन स्थिति के अन्तर्गत विपक्ष को दबाने का कार्य होता आ रहा है। 'आंसुका' और भारतीय सुरक्षा नियमों का विपक्षी दलों पर प्रयोग होता आ रहा है।

गत तीन वर्षों से हमारा दल जिस तानाशाह तथा एकदलीय तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ाने सम्बन्धी चेतावनी देता आ रहा है वह नये आपातकाल की घोषणा से सत्य साबित हो गई है। इसके द्वारा संसदीय प्रजातन्त्र का स्थान तानाशाही ने ग्रहण कर लिया है। जिसके पूर्ण अधिकार एक नेता श्रीमती गांधी के हाथ में केन्द्रित हैं। प्रजातन्त्र का स्थान अचानक तानाशाह द्वारा लिये जाने का उद्देश्य सत्तारुढ़ दल को सत्ता पर बनाये रखना ही था। क्योंकि जनता के लोकतन्त्र अधिकारों से उनकी सत्ता को खतरा उत्पन्न हो गया था इसलिये कार्मिक संघों पर तथा विपक्षी शक्तियों पर उनका दमन बढ़ रहा था। पश्चिम बंगाल में अर्द्ध-फासिस्टवाद तथा चुनावों में हेराफेरी आपातकालीन स्थिति तथा आंसुका जैसी शक्तियों का होना सत्ताधारी दल को सत्तारुढ़ रखने के लिए आवश्यक हो गया। अधिनायकवाद का विकास एकाधिकार पूंजी के विकास के साथ सीधा जुड़ा हुआ है और लोगों के शोषण में वृद्धि से लोगों में असन्तोष बढ़ा है।

कांग्रेस में कुछ लोगों द्वारा एक नेता, एक दल और एक देश का नारा अधिनायकवाद की प्रवृत्ति का परिचायक है। यह नारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय तथा गुजरात चुनावों के परिणामों के पश्चात् कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बनाया गया है। "इण्डिया इज़ इन्दिरा ऐंड इन्दिरा इज़ इण्डिया" इसका अभिप्राय यह हुआ कि जीवन भर वही एक नेता रहेंगी। किसी लोकतन्त्र की किसी संसद् की किसी विपक्षी दलों और किसी चुनावों की कोई आवश्यकता नहीं है।

जब मैं जेल में था तो एक अफवाह थी कि श्री जगजीवन राम और श्री चव्हाण नज़रबन्द हैं मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है किन्तु 39 संसद् सदस्य जिसमें कुछ कांग्रेस नेता भी हैं गिरफ्तार हैं। हम लोगों के हितों के साथ धोखा नहीं कर सकते और भारत में लोकतन्त्र की देन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ निर्माण की स्वतन्त्रता, न्यायालय में न्याय के लिये जाने की स्वतन्त्रता, समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता, सरकार की आलोचना करने की स्वतन्त्रता तथा जनता द्वारा उसे बदलने का अधिकार को हम इस प्रकार समाप्त होते नहीं देख सकते।

लोकतन्त्र की हत्या को किस प्रकार ठीक ठहराया है ? अपनी रक्षा में श्रीमती गांधी क्या तर्क दे रही हैं ? उन्होंने कहा है कि इससे दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया का एवं तथा-कथित वामपन्थी अतिवादियों को पराजित किया जाना है। इससे वामपंथियों द्वारा देश और विदेश में जनमत को धोखा देने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आनन्द मार्ग के प्रति जिन पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार ने अपने लाभ के लिये समय-समय पर अपना रवैया बदला है। 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान के तत्कालीन प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली की नागरिक सुरक्षा के लिये दिल्ली को आर०एस०एस० को सौंप दिया था। प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने कुछ समय पहले संसद् में आर०

[श्री ए० के० गोपालन]

एस०एस० के प्रमुख श्री गोलवल्कर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी (**व्यवधान**) यह रिकार्ड में है अगर आप कार्यवाही को पढ़ें...... (**व्यवधान**) वहां आपको यह उपलब्ध होगा। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : शायद वह निधन सम्बन्धी उल्लेख का हवाला दे रहे हैं। क्या इसके अतिरिक्त भी कोई रिकार्ड है ? (**व्यवधान**)

श्री ए० के० गोपालन : जहां तक आनन्द मार्ग का सम्बन्ध है सरकार ने उस समय तो कुछ नहीं किया जब आनन्दमार्गियों ने पटना रेलवे स्टेशन पर कामरेड ज्योतिर्बसु की हत्या करने का प्रयास किया था और उनके निकट खड़ा हुआ व्यक्ति मारा गया था। सरकार ने 1971 में बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिये इसी आनन्द मार्ग को 12 लाख रुपये दिये थे जिसमें से 2,80,000 रुपये का कोई हिसाब नहीं है। एक समय में सत्ताधारी दल नक्सलवादियों को प्रोत्साहन देता था और अपने दल के संवर्गों को समाप्त कराने के लिये पश्चिम बंगाल में उन्हें सभी प्रकार की सहायता की थी। लेकिन आज वे नितान्त तिरस्कृत हैं।

यह आशा करना बहुत ही भोलापन है कि लोग यह विश्वास कर लेंगे कि वे संस्थाएं जिनके पीछे जनता का बल नहीं है एकाएक आन्तरिक सुरक्षा के लिये खतरा बन गई हैं, जिसका सामना आपातकालीन स्थिति की घोषणा करके ही किया जा सकता है। इन दलों की नीति और विचारधारा का विरोध कर उसे राजनीतिक और वैचारिक हार दी जानी चाहिए। यदि वे अपराध के कार्यों में लगे हैं तो उनके विरुद्ध सामान्य कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये।

आपातकाल की घोषणा के बाद सरकार द्वारा उठाये गये कदम जनता विरोधी हैं। लोगों के लोकतान्त्रिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी नहीं रहा है।

सरकार अथवा कांग्रेस दल की कोई ज़रा सी भी आलोचना नहीं छप सकती। निहित स्वार्थों द्वारा जनता का, पूजीपतियों द्वारा श्रमिकों का, किसानों और कृषि श्रमिकों का जिसमें सरकार की ज़रा सी भी आलोचना है का समाचार नहीं छप सकता। उत्पादन में बाधा के तर्क के आधार पर किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार नहीं है।

इसी आधार पर हड़ताल नहीं की जा सकती। किन्तु अनेक कारखानों में तालाबन्दियां चल रही हैं और श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी जा रही है। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायेगी ?

जिसके हितों के संरक्षण के लिये तानाशाही लागू की गई है ? क्या यह श्रमिक वर्गों के हित रक्षा में हैं ? क्या यह मध्यवर्गीय कर्मचारियों के हित रक्षा में है ? यह खुलेआम घोषणा की गई है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा।

इस बात का भी पर्दाफाश हो गया है कि आपात स्थिति का उपयोग दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी दलों के विरुद्ध किया जा रहा है क्योंकि हजारों मार्क्सवादी साम्यवादियों को अन्धाधुंध गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लोगों पर अत्याचार ढा रही है। केरल में अनेकों राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्त्ताओं

को जेल में और बाहर पीटा गया है । लोगों में आतंक फैलाये जानेकी निन्दा की जानी चाहिये । राजनीतिक ब्यूरो के एक सदस्य, केन्द्रीय समिति के एक सदस्य तथा लोक सभा के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा जो व्यक्ति निहित स्वार्थों के विरुद्ध तथा लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना चाहता है उसके गिरफ्तार होने का डर बना रहता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार कर्मचारियों तथा विभिन्न कार्मिक संघों के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है । ये गिरफ्तारियां कार्मिक संघों तथा लोकतांत्रिक अभियानों को दबाने के लिए की जा रही हैं ।

समाजवाद गरीबी हटाओ आदि नारों की घोषणा किए जाने के बावजूद भी एकाधिकार गृह पनप रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामी समृद्ध और शक्तिशाली बन गए हैं । हथकरघों विद्युत चलित करघों के कर्मकार तथा लघु उद्योगों के कर्मचारी कीमतों के बढ़ जाने के कारण तबाह हो रहे हैं ।

(श्री एच० के० एल भगत पीठासीन हुए)

[SHRI H. K. L. BHAGAT *in the Chair*]

यद्यपि प्रधान मंत्री कहती हैं कि ग्रामीण लोगों की दशा में सुधार हुआ है किन्तु सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि गरीबी की पंक्ति के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की प्रतिशतता 50 से बढ़कर 70 हो गई है । 1966 में देश में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 26.3 लाख थी जो एक दशक में बढ़कर 81.5 लाख हो गई है ।

पश्चिम बंगाल में 1971 से हजारों व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर आक्रमण किए जा रहे हैं, जेल में बन्द लोगों को पीटा जा रहा है । ये सब चीजें केन्द्र में कांग्रेस सरकार की जानकारी में है । फिर पश्चिम बंगाल में 1972 में जब कांग्रेस को पता चला कि उनके चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं है तो उन्होंने सरकारी तंत्र की सहायता से बेईमानी से चुनाव जीतने का यत्न किया । अब केरल में वही हो रहा है ये आन्दोलन अब अन्य क्षेत्रों में भी होने लग गए हैं । सत्तारूढ़ दल अधिक समय तक लोगों को धोखा नहीं दे सकता ।

इस पृष्ठभूमि में ही श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन ने जोर पकड़ा । यद्यपि श्री जय प्रकाश नारायण के साथ हमारे दल का मतभेद है परन्तु हमने सत्याग्रह, हड़ताल, बन्द आदि करने के उनके अधिकार का समर्थन किया है तथा करते रहेंगे ।

श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन ने चुनावों में सामना करने की प्रधान मंत्री की चुनौती को स्वीकार कर लिया था किन्तु गुजरात के चुनावों के बाद प्रधान मंत्री घबरा गई । सभी राज्यों में विभिन्न गुटबाजी केन्द्र, में भी आने लगी तथा यह बात छिपी नहीं रह गई कि इलाहाबाद के निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश बाद कांग्रेस संसदीय दल में भी श्रीमती इन्दिरा गांधी को व्यापक चुनौती दी जाने लगी । प्रजातंत्र को समाप्त करने के परिणामस्वरूप ही कांग्रेस की सत्ता के एकाधिकार को तथा कांग्रेस दल एवं सरकार में श्रीमती इन्दिरा गांधी के पद को खतरा उत्पन्न हो गया है ।

अब लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है । परन्तु अब तक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए किस ने रोका था । पश्चिम बंगाल में जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी तो 6 लाख एकड़ बेनामी भूमि का पता लगा कर कृषि कर्मकारों को दे दी गई थी

श्री ए० के० गोपालन

परन्तु उस सरकार के हटने के बाद कांग्रेस सरकार की पुलिस की सहायता से भूस्वामियों ने जबरदस्ती उस भूमि को वापिस ले लिया। इसी तरह से केरल में 1969 में कामरेड नम्बूदरीपाद सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया था परन्तु उसके बाद वाली सरकार ने उसे क्रियान्वित नहीं किया है।

1969 में समझा जाता था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक क्रान्तिकारी उपाय है परन्तु उनसे बड़े बड़े एकाधिकार गृहों को ही लाभ पहुंचा है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आपातकालीन स्थिति की घोषणा करना आवश्यक है। हमारा दल यह अपना पहला कर्तव्य समझता है कि लोगों को बताया जाए कि व आपातकालीन स्थिति को समाप्त कराने तथा लोकतंत्रीय अधिकार वापिस लेने के लिए प्रयास करें क्योंकि उन्होंने ये अधिकार बहुत कुर्बानी देकर प्राप्त किए हैं। हम अपील करते हैं कि सभी लोकतंत्रीय ताकतें इस संघर्ष में हमारा साथ दें। चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े हमारा दल लोगों के साथ रहेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सरकार आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के लिए बाध्य हो गई है जिससे भारत का संवैधानिक ढांचा उन ताकतों से बचाया जा सके जो इसे नष्टभ्रष्ट करना चाहते हैं। श्री ए० के० गोपालन ने अपनी तथा अपने दल के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की शिकायत की है परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी गिरफ्तारी किस लिए की गई। उनकी गिरफ्तारी प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने के लिए की गई थी मैं जानना चाहता हूं कि क्या कानून का पालन करना उनका कर्त्तव्य नहीं था। इस के बाद 'बन्द' की घोषणा की गई। हमने देखा है कि जहां कहीं बन्द होता है वहां यातायात रुक जाता है, विमान सेवा बन्द हो जाती है तथा स्कूल भी बन्द हो जाते हैं। कारखाने बन्द हो जाते हैं। परन्तु उस दिन बन्द में सामान्यजीवन रहा।

श्री गोपालन ने कहा कि गत 25 वर्षों में सरकार बदनाम तथा विरोधी दल लोकप्रिय हुए हैं तथा इस आपातकालीन स्थिति के लिए लोगों की स्वीकृति नहीं है। परन्तु यह बात सच्चाई से बहुत दूर है। 1942 में जब जनता के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था तो लोग चिल्ला उठे थे। परन्तु आज लोक सरकार द्वारा तथा कथित नेताओं के गिरफ्तार किए जाने पर लोग बिल्कुल शान्त हैं।

वे लोग संविधान की बात करते हैं। संविधान 1949 में बनाया गया तथा उसके अन्तर्गत मूलभूत अधिकार दिए गए, संसद् बनाई गई, निर्वाचन व्यवस्था की गई तथा अन्य उपबन्ध भी किए गए। हर चीज ठीक तरह से चल रही थी परन्तु गत चार वर्षों से भारत में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमने देखा है कि संसद् तथा विभिन्न विधान सभाओं में क्या कुछ हो रहा है। वे आजादी की बात करते हैं। परन्तु क्या विधान सभा सदस्य को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करना प्रजातांत्रिक आजादी है ? संसद् के कार्य में बाधा डालना क्या प्रजातांत्रिक आजादी है ? क्या विधान सभाओं तथा संसद् को भंग करने की मांग करना कोई प्रजातांत्रिक आजादी है ?

प्रधान मंत्री के त्यागपत्र की बात की गई थी। संविधान में सरकार चलाने सम्बन्धी विशेष उपायों की व्यवस्था की गई है। उसमें व्यवस्था यह है कि बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ? आप आलोचना

कर सकते हैं परन्तु आप ने ऐसा नहीं किया । आपने हर मौके पर बाधा डाली । प्रजातांत्रिक आजादी का मूल्य इतना घट गया है कि इसे अब हर स्तर पर तोड़फ़ोड़ के लिए लाइसेंस समझा जाता है । अतः यदि अब यह जारी रहता है तो प्रजातांत्रिक आजादी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है ।

जहां तक प्रधान मंत्री के त्यागपत्र की मांग का सम्बन्ध है उच्चतम न्यायालय ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि कानून की दृष्टि से उन्हें प्रधान मंत्री पद पर रहने का पूरा हक है । उसके बाद भी आन्दोलन जारी रहे तथा सेना, अधिकारियों तथा हर व्यक्ति को आह्वान किया गया कि सरकार के आदेशों की अवज्ञा की जाए । बात यहां तक ही सीमित नहीं रही । उनको यहां तक भी कहा गया कि यदि संसद का अधिवेशन बुलाया भी गया तो उसे कार्य करने नहीं दिया जाएगा । यह भी कहा गया कि प्रधान मंत्री का घेराव किया जाएगा तथा उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह देखना विरोधी दलों का काम है कि प्रधान मंत्री को स्वीकार किया जाए या नहीं ?

आज 27 वर्षों के बाद हम इस अवस्था पर पहुंच गए हैं जब संविधान के अनुसार कार्य करना बहुत कठिन हो गया है । हमें इस संवैधानिक लोकतंत्र की सुरक्षा करनी है । इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियां देश में लोकतंत्र को नष्टभ्रष्ट करने पर उतारू हो गई हैं । अतः संविधान को बचाने के लिए संविधान में विनिर्दिष्ट इस विशेष उपबंध को लागू करना पड़ा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हमारे दल की यह निश्चित धारणा है कि 26 जून को जो आपात स्थिति की घोषणा की गई है वह बिलकुल न्यायोचित है और हर व्यक्ति ने उसका समर्थन किया है । फ़िर भी मैं चाहता हूं कि सरकार समूचे देश को उन तथ्यों एवं जानकारी से अवगत कराये जिनसे विवश होकर उसे यह कदम उठाना पड़ा ।

इस पक्ष (प्रतिपक्ष) के कुछ सदस्यों ने एक तकनीकी तथा महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा है कि दूसरी आपात कालीन स्थिति की घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी जब कि सरकार के पास ये शक्तियां पहले ही मौजूद थी, मेरी धारणा ऐसी है कि सरकार को अपनी कानूनी स्थिति दृढ़ करने के लिए शायद इसकी आवश्यकता पड़ी क्योंकि वर्ष 1971 में जो पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी वह केवल बाहरी आक्रमण से उत्पन्न खतरे के कारण की गई थी । यह सच है कि ये कार्य-वाहियां जो अब इस घोषणा के अधीन की गई हैं, वे विद्यमान आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधि-नियम के अधीन, भारत रक्षा अधिनियम तथा नियमों के अधीन, राष्ट्रपति की शक्तियों के अधीन भी की जा सकती थी । किन्तु यह एक विवादस्पद विषय है जिसमें मैं नहीं पड़ना चाहता ।

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सभापति महोदय, सरकार ने "व्हाई इमर्जेन्सी" (आपात स्थिति क्यों) नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की है । मैं आपकी अनुमति से उसे सभा-पटल पर रखना चाहूंगा ।

सभापति महोदय : आप उसे सभा-पटल पर रख सकते हैं ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं "व्हाई इमर्जेन्सी" प्रकाशन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कतिपय दलों ने श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक मोर्चा बनाया जो विगत डेढ़ वर्ष से विभिन्न राज्यों में ऐसे माध्यमों तथा साधनों से जो पूर्णतया संवैधानिक तौर-तरीके नहीं थे सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा था। डेढ़ वर्ष पहले जब श्री जयप्रकाश नारायण ने सेना तथा पुलिस से आदेश न पालने का आह्वान किया था। मैंने इस बात को इसी सभा में उठाया था किन्तु सरकार ने उसे तब इतनी गंभीरता से नहीं किया। इस सम्बन्ध में जो कुछ हुआ है उसके पीछे एक सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ भूमी है। इसके पीछे अमरीकी सामाज्यवाद अपना खेल खेल रहा है। अमरीकी सरकार ने अनेक बार विश्व के सम्बन्ध में और खासकर भारत के सम्बन्ध में अपनी नीति का जिक्र किया है। वह भारत जैसे देश को जो शान्ति के मार्ग पर अग्रसर है और जो विश्व में अन्य देशों को जो अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संधर्षशील है, अपना समर्थन प्रदान कर रहा है तथा जो सभी देशों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध भी कायम करने का सदैव इच्छुक रहता है, पसन्द नहीं करता वह उन क्षेत्रों की जो उनका अनुसरण नहीं करते अस्थिरता के बारे में खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। वह भारत को "नरम देश" समझते हैं। वह ऐसे देशों को 'नरम' समझते हैं जहां वह सी०आई०ए० आदि जैसी तोड़ फोड़ करने वाली एजेन्सियों को लगा सकते हैं और वित्तीय तथा फौजी दबाब डाल सकते हैं। ऐसे समय में जब कि वह पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया निराश होने पर भारत को अपना मुख्य निशाना बना रहा था। और उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था इन दलों ने देश में यह मोर्चा बनाया और एक नये प्रकार का आन्दोलन चलाने के लिए भी जयप्रकाश नारायण को उसका नेतृत्व सौंपा। क्या इन दोनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं ऐसे अवसर पर जब कि पाकिस्तान को फिर से अस्त्र-शस्त्रों से कैसे किया जा रहा था और डियागो गाशिया में अड्डा बनाया जा रहा था श्री जयप्रकाशनारायण ने सेना से विद्रोह करने के लिये भड़काया। विहार में भी वह जनता को सरकार के आदेशों की अवहेलना करने के लिये खुल्लम-खुल्ला भड़का रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय निकलने पर इन दलों ने सोचा कि उन्हें अब स्वर्णिम अवसर मिल गया है उन्होंने 29 तारीख से सिविल अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने का आह्वान दे दिया जिसके पीछे एक खास प्रयोजन था! प्रशिक्षित राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिल्ली में एकत्रित हो रहे थे एक नियोजित कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए पूरी तरह तैयारी चल रही थी। इतना ही नहीं श्री जयप्रकाश नारायण ने 25 जून को रामलीला मैदान के रैली में भारत के मुख्य न्यायधिपति को भी धमकी दी कि वह प्रधान मंत्री के विरूद्ध अन्तिम अपील में न्यायपीठ में न बैठे अन्यथा जन न्यायालय द्वारा उनका विचारण किया जायेगा और उन्हें दाण्डित किया जायेगा। वास्तव में उनका यह सोचना कि देश में गड़बड़ पैदा करके वर्तमान सरकार का तख्ता उखाड़ फकेंगे, मूर्खता पूर्ण था। सरकार इतनी आसानी से नहीं गिरती। षडयन्त्र यह था कि कांगेस संसदीय दल के कुछ अवसरवादी सदस्यों को इस बात के लिये राजी कर लिया जाये कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस के नेता को यह कह कर बदल दिया जाये कि उसके सत्ता से अलग होने से ही विपक्षी दलों द्वारा फैलायी गयी अशान्ति को समाप्त कर शान्ति का दौर स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान सरकार को बदल कर एक और सरकार बनाने की यह एक कूट याजना थी। अमरीका के समर्थकों से बनी दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी की इस सरकार ने हमारा जीना ही दूभर कर देना था! हम यह बात पिछले 2, 3 वर्षों से कह रहे थे कि ये दक्षिणपंथी दल लोगों को भ्रम में डाल कर उन्हें गुमराह कर रहे थे क्योकि कांग्रेस दल ने 1971 के चुनावों में लोगों से जो वायदे किये थे उन्हें पूरा नहीं किया बेरोजगारी को समाप्त करने, बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक लगाने और खेतिहार मजदूरों को भूमी देने के लिये किये गये वायदे को न पूरा करने के कारण लोगों में जो असन्तोष व्याप्त हो गया था उसका फायदा उठा कर दक्षिण पंथी दलों ने एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसे यदि इस समय काबू में न कर लिया गया होता तो यहां का नक्शा ही बदल चुका होता। हम नहीं चाहते

कि यहां कोई ऐसी सरकार बने जिसे अमरीका का समर्थन प्राप्त हो। आसपास देशों में जो कुछ हो रहा है उससे हम भलि भांति अवगत हैं। इसीलिये हम इस संकल्प का समर्थन कर रहे हैं।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है बहुत ही कम ऐसे सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जो सरकार को तोड़ने की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त थे। यह कहना गलत है कि जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था उन्हें बन्द कर दिया गया है। यदि श्री गोपालन के साथ कोई बुरा व्यवहार किया गया है तो यह बहुत ही खेदजनक है और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये।

यदि हम चाहते हैं कि ऐसी घटनायें पुनः न हों तो इस के लिये हमें इन सभी आर्थिक उपायों को तुरन्त लागू करना होगा जिनसे लोगों को वास्तव में कुछ राहत मिले। अन्यथा कुछ लोगों को गिरफ्तार करने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमात-ए इस्लामी पर रोक लगाने और समाचार पत्रों का सेन्सर करने का कोई लाभ नहीं होगा। लोगों की यह धारणा है कि ये जो आर्थिक उपाय अब सुझाये गये हैं, वे कोई नये नहीं हैं और ये तो सरकार ने दो, तीन वर्ष पूर्व सुझाये थे परन्तु उनको अब तक क्रियान्वित नहीं किया है, तो अब आपातकाल में भी इन्हें क्रियान्वित नहीं किया जायेगा। मेरे विचार में इन उपायों का आपात से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि आपात की उद्घोषणा तो दक्षिणपंथी दलों के षड़यन्त्र को नाकाम बनाने के लिये की गई है। हां, यह है कि यह एक अन्तिम अवसर है जब इन आर्थिक उपायों को गम्भीरता से तुरन्त क्रियान्वित किया जाना चाहिये। अन्यथा बाद में देश को दक्षिणपंथी दलों के षड़यन्त्र से बचाना कठिन हो जायेगा।

यहां कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चल रही हैं जिनके माध्यम से सी० आई० ए० अपना कार्य करता है। इसके बारे में प्रमाण की कमी नहीं है। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की उप-समिति जिसके सभापति श्री एल के झा हैं की रिपोर्ट पढ़नी चाहिये। एक अमरीकी पत्रकार ने "आई० एफ० स्टोनज़ वीकल" नामक एक निजी पत्रिका में यह लिखा है कि यहां पर बेकटेल्स नामक जो कंम्पनी काम कर रही थी उसका अध्यक्ष और सी० आई० ए० का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति था जिसका नाम श्री जाहन ए० मेंक्कोन था। इस कम्पनी ने हल्दिया और बरौनी के बीच तेल पाइप लाइन बिछाई थी इसका सारा काम त्रुटिपूर्ण पाया गया। इसके बावजूद उनको पुनः यहां लाने के लिये बातचीत की जा रही है। सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

एक ओर तो सरकार ने लोक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कम दामों पर वस्तुएं देने का निश्चय किया है दूसरी ओर सरकार ने स्वयं मिट्टी का तेल, गैस, नियन्त्रित कपड़ा, एल्यूमीनियम, इस्पात आदि के दाम बढ़ा दिये हैं। यह ठीक है कि थोक मुल्यों में कुछ कमी हुई है, परन्तु इस कमी का उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि खुदरा मुल्यों में कोई कमी नहीं हुई है। क्या लोगों का विश्वास प्राप्त करने का यही तरीका है? हमें इस आपात स्थिति में इस दिशा में कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

उत्पादन में वृद्धि न होने का कारण कर्मचारियों द्वारा की गई हड़तालें नहीं है परन्तु नियोजकों द्वारा तालाबन्दी और स्थापित क्षमता से कम उत्पादन करना है। पश्चिमी बंगाल में बड़े बड़े कारबार-गृह अपने कारखानों में स्थापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। बिरला बन्धुओं ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है। मेटल बाक्स कम्पनी ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है। हिन्दुस्तान मोटर्ज ने 6,000 लोगों को जबरन छुट्टी दे दी है सेन रैले एण्ड कम्पनी तथा जे०के० ने अपने कारखाने बन्द कर देने की धमकी दी है। यदि ये कारखाने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना आरम्भ कर दें, तो इसी से उत्पादन में 25 से

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

30 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी । इन उद्योग गृहों को सीधे रास्ते पर लाने के लिये सरकार को कोई कार्यवाही करनी चाहिये ।

प्रस्तावक ने यह ठीक ही कहा है कि समाचार पत्रों के कतिपय वर्ग सत्ता हथियाने के षडयन्त्र में सक्रिय रूप से कार्यरत थे। यदि उन्हें निर्बाध रूप से कार्य करने दिया जाता तो वे देश में तबाही मचाने में सफल हो जाते । इस एकाधिकारवादी प्रैस के लिये सेन्सर की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक हो गया था । सेन्सर की व्यवस्था का प्रयोजन दक्षिणपंथी शक्तियों को दबाना और प्रजातंत्रात्मक शक्तियों को मजबूत बनाना है। परन्तु जो कुछ हो रहा है वह बिना किसी सोच विचार के नौकरशाही के तरीके से हो रहा है । सेंसर व्यवस्था ठीक ढंग से चले, इस के लिये एक सलाहकार समिति या किसी प्रकार की कोई सम्पादकीय समिति बनायी जानी चाहिए । यह समिति निरतंर रूप से इस कार्य का पुनरीक्षण करने के अतिरिक्त इस के विरूद्ध शिकायतों को सुने और इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी उपाय भी सुझाये ।

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि आपात की घोषणा प्रजातंत्र को ठीक मार्ग पर लाने का एक प्रयास है, जिसे देश में कुछ लोग नष्ट करने जा रहे थे। संकल्प के प्रस्तावक ने विशेषकर 1967 के बाद की घटनाओं का जो वर्णन किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निहित हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल प्रजातंत्र को समाप्त करने की दिशा में किस प्रकार अग्रसर होते जा रहे थे। चूंकि ये दल कांग्रेस दल को चुनावों में हराने में असफल रहे, इसलिए उन्होंने अब प्रजातंत्र विरोधी ढंग अपनाने आरम्भ कर दिये थे जिस के फलस्वरुप ये स्थिति उत्पन्न हुई है । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा हैं कि यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है । यदि हम इस स्थिति का सामना न कर सके, तो देश का भविष्य, प्रजातंत्र का भविष्य और हमारी वे सब मान्यतायें खतरे में पड़ जायेंगी जिनको लेकर हमने स्वतंत्रता संग्राम किया था । मुझे आशा है कि हम स्थिति की गम्भीरता को पहचान कर इस स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे ।

दूसरी ओर गत 27 वर्षों में जो हमें सफलतायें प्राप्त हुई हैं उन पर हमें गर्व है । ऐसा इतिहास में कोई उदारण ही नहीं मिलता, जब किसी देश ने कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी इतनी सराहनीय उन्नति की हो । यह एक आश्चर्यजनक बात है कि इतनी उन्नति हो जाने के बावजूद यहां पर प्रजातंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था । पहले गुजरात में और बिहार में जो कुछ हुआ वह सब इसी का परिचायक है । इस सभा में गत दो वर्षों से यही हो रहा था । यहां भी कुछ वर्ग और कुछ तत्व प्रजातंत्र की इस पद्धति को असफल बनाने की कोशिश करते रहे थे। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने संसदीय मार्ग छोड़कर बाहर आन्दोलन करने और सत्याग्रह का मार्ग अपनाने की बात कही थी । वे कहने लगे थे कि संसद का कोई लाभ नहीं है । इन परिस्थितियों में प्रजातंत्र को बचाने के लिये आपात की उद्घोषणा करनी पड़ी । इसके लिये हम दोनों सरकार और प्रधान मंत्री के आभारी हैं । जर्मनी और अन्य कई देशों में पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब अल्पसंख्यक और निहित हित रखने वाली शक्तियों ने राष्ट्रीय संकट, आर्थिक संकट, लोगों में व्याप्त असंतोष और निराशा का फायदा उठा कर प्रजातंत्र को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की थी क्योंकि बहुसंख्यक दल के नेताओं ने कोई सुदृढ़ और निश्चित कार्यवाही करने में कोताही की थी । मुझे खुशी है कि हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ । यह एक गम्भीर संकट की घड़ी थी और प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस दल के अन्य नेताओं ने यह समझ लिया था कि यदि उन्होंने इस समय किसी किस्म की कमजोरी दिखायी, तो हमारी वे सब मान्यतायें समाप्त हो जायेंगी जिन के लिये कांग्रेस दल स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् गत 27 वर्षों में संघर्ष करता रहा था । आपात की उद्घोषणा करके सरकार ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों के अराजकता फैलाने वाले प्रयासों को विफल कर दिया है। ये शक्तियां देश

में पुलिस और सेना को भी विद्रोह करने के लिये भड़का रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ इन्ही तत्वों के हाथ में हो। इन शक्तियों के प्रयासों को विफल करने के लिये सरकार ने यह कार्यवाही करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है।

निहित स्वार्थों वाली प्रतिक्रियावादी ताकते शहरों और गावों दोनों में काम कर रही है यद्यपि इस समय वे शहरों में अधिक सक्रिय हैं। देश में प्रतिनिधि शासन को समाप्त और विफल करने के लिये मध्यम वर्ग के लोगों, बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों और युवकों को संगठित किया गया। जब इन ताकतों को उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस को हराने में सफलता नहीं मिली तो ये समझ गये कि वे चुनावों में तो कांग्रेस को हरा नहीं सकेंगे। इसलिए उन्होंने सीधी कार्रवाई करने का निर्णय किया हमारी व्यक्ति विशेष में रूचि नहीं है। हमें तो देश के भविष्य कि और लोकतंत्र की चिंता है, जिसका हम निर्माण करने के लिये प्रयत्नशील हैं। आप देश में लोकतंत्र का रिकार्ड देखें और आप उसकी किसी भी देश के स्थान तुलना कर सकते हैं। वे भारतीय लोकतंत्रीय प्रक्रिया को जिसमें देशवासियों की आस्था सुदृढ़ हो गई थी, निष्फल करने की बात कर रहे थे। बंगला देश के संकट के समय देश की एकता, शक्ति और नेतृत्व ने विश्व को दिखा दिया है कि भारत की उभरती हुई शक्ति को स्वीकार करना होग।

हमें अपना ध्यान अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आज के युग में भारत के सशक्त योगदान को पसन्द नहीं किया जाता है। प्रधान मंत्री नेहरू ने एक बार कहा था कि भारत गर्वोन्नत होकर ही टिक सकता है। विश्व शक्तियां नहीं चाहती हैं कि स्थिति में परिवर्तन हो और कोई देश शक्तिशाली बने। इसलिए वे अस्थिरता लाना चाहते हैं। भारत लोकतंत्रीय प्रक्रिया द्वारा ही शक्तिशाली बन सकता है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसका आधार बहुमत द्वारा शासन और अल्पसंख्यकों के प्रति आदर तथा नीतियों के आधार पर राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। यदि साम्प्रदायिक भावना या वर्गगत दृष्टिकोण के आधार पर कोई दल बनाया जाता है, तो वह इन फर्मों में राजनीतिक दल नहीं है, लोकतंत्रीय दल नहीं है। पूर्ण क्रांति या दलहीन लोकतंत्र या सत्याग्रह या सीधी कार्रवाई का मार्ग अपनाना है वह देश की एकता और शक्ति और राष्ट्रीयबाद के लिये खतरा है। यह कार्रवाई न केवल विघटनकारी है बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है।

हमें विभिन्न प्रकार की, जटिल और खतरनाक स्थिति का मुकाबला करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट है, मूल्य बढ़ रहे हैं और यहां पर विरोधी दलों का व्यवहार ऐसा नहीं है जैसाकि अन्य देशों में होता है। मैं इसके दो उदाहरण दूंगा। सोवियत संघ अलग रीति से कार्य करता है और चीन भिन्न रीति से। वहां दल के भीतर ऐसी व्यवस्था है कि उसमें लोकतंत्र का समावेश है। सोवियत संघ ने 270 लाख टन खाद्यान्न का आयत किया, जो इतिहास में सबसे अधिक मात्रा है। हमने इससे बहुत कम मात्रा का आयात किया और उसके मूल्य का नकद भुकतान किया। चीन नियमित रूप से प्रति वर्ष 80–100 लाख टन खाद्यान्न आयात करता रहा है। चीन की जनसंख्या हमारी जनसंख्या से अधिक है परन्तु सोवियत संघ से आधी है। इसके बावजूद वहां पर या बाहर ऐसी भावना पैदा नहीं की गई कि देश नष्ट हो रहा है। लेकिन यहां विरोधी पक्ष ने क्या किया? दूसरा उदाहरण में यूनाइटेड किंगडम का दूंगा जहां संसदीय लोकतंत्र है। गत तीन-चार वर्षों से ब्रिटेन को भारत से कहीं अधिक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में श्री हीथ ने चुनाव कराये और हार गये। श्री विल्सन आये और उन्हे भी चुनाव कराने पड़े। वहां पर चुनावों में यहां की तरह सभी प्रकार के चरित्र हनन का मार्ग नहीं अपनाया जाता। जब आप नीतियों की आलोचना करने में असमर्थ होते हैं, तो व्यक्तियों की निंदा करने पर उत्तर आते हैं।

[श्री बी० आर० भगत]

भृष्टाचार समाप्त होना चाहिये परन्तु सभी को भृष्ट कहना सरकार को नीचा दिखाना है। यह लोकतंत्र को नष्ट करने की दिशा में पहला कदम है।

आपातकाल की घोषणा सही दिशा में कदम है। इसका प्रयोजन विरोधी पक्ष दबाना नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को हिरासत में लेना अनिवार्य हो गया था। राष्ट्र विध्वंस्त के कगार पर पहुंच गया था। देश की स्वतंत्रता और एकता को खतरा उत्पन्न हो गया था। आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने तथा लोगों में विश्वास पैदा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक था। यह लोकतंत्र के लिये बहुत आवश्यक है।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): Mr. Chairman, the difference between the emergency declared in 1971—which still confirms—and the fresh are declared now under Article, 352 of the constitution is that there was a debate here in 1971 whereas now top party leaders of the opposition are in Jail. Two reasons are given for declaration or this fresh emergency, *viz.* implementation of 21 point programme and secondly a situation in which, had these leaders not been arrested, it was not known where the country could be.

As regards the 21 point programme I would like to quote the Prime Minister. In reply to a question she said: :

> "It was correct that the economic programmes announced on July 1, were part of the pledges made to the people. There was some slackening in their implementation and part or the fault is ours."

The Congress started with a ten point programme which became 13 points or Narora and now 21 points. Who will punish you who were responsible to implement this programme me and who failed to discharge their responsibility?

Shri Ganesh launched a crusade against the smugglers and toured our coastal line from Bombay to Cochin. But in a cabinet reshuffle he was shifted from his ministry and a word went round that Government was not serious and sincere. Did any party support the smugglers? On the contrary my friend Mr. Shamim said that he was introduced to Haji Mastan by a congress minister in Bombay. He did not refer to any opposition party. No opposition party came in the way of implementation of their programme. Was it necessary to imprision the leaders of opposition parties. Suddenly you became serious about the economic programme. I fully support the statement of Shri Indrajit Gupta that since you were in majority why did you allow the opposition to exploit the situation. In 1969 it was said in reply to a question that no drinking water was available in 1.19 lakh villages in India and now Babuji said that drinking water was still to be provided in 1.16 lakh villages. Thus you provided drinking water to 3,000 villages only during the period 1969 to 1971. Opposition is not responsible for it. Now more than 100 river water projects are in dispute. The ruling party should not shirk its responsibility.

I agree that there are hoarders and blackmarketeers. I raised the case of Shri Modi who was found to have stocked 9,000 tons of flour, on essential commodity. But what was the action taken? Merely providing stringent laws is not

going to help unless you enforce them rigidly and strictly. Why should you arrest them under MISA when they can be prosecuted under the Excise laws, Income-Tax Act, Foreign Exchange laws etc. Who was to do this? Who gives vague grounds. Merely attributing it to the beaurocrats will not dispose of the matter. If there is slackness in the top, downward heirarchy will also not be strict.

The programme which is for the benefit of the poor should be implemented. There is some good in evil also. Now I find pople in their seats in offices at 10.00 a.m. sharp. In 1942 when I was working in the Military Accounts Department some of my colleagues said that they should not work sincerely since they were under the British rule. I told them to be sincere in their work or quit if they did not like the British. They developed a habit and this slackness could now be seen in the Railways and almost in all the Government Departments. Emergency or no emergency it should be a normal practice to be punctual in office. Our education, our practice, our behaviour, our literature should be such that an atmosphere of discipline, dedication and duty may develop and we devote our full energy to cause and service of the people.

As regards the point that for the arrest of all these persons of serious situation would have developed, I will quote my hon. friend Mr. Indrajit Gupta who said that politics brings strange bad fellows.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मुझे कुछ और समय दीजिये ।

सभापति महोदय आप कुछ मिनट और ले सकते हैं ।

Shri Jagannathrao Joshi: In 1930 this very gentleman Indrajit Gupta used to call Mahatma Gandhi, as an agent of British imperialism. Where were these persons in 1942. When in 1962 at the time of Chinese aggression realising the national crisis we forget all our disputes and addressed the people from one platform in Bangalore alongwith the Congress President, they were exercising their brains whether to call that aggression or incurssion. Then they evolved a new pattern of palace revolution which started with the entry of Shri Chandrajit Yadav into the Congress as a party M.L.A. in U.P. Are we to learn from Rajni Patel in Bombay the Congress ideology.

The Jàn Sangh has been serving the country since 1951. Reason or no reason if you are annoyed with someone, you are annoyed and if you develop a fascination for someone, there is no ryhm or reason for it. Mr. Sheikh Abdullah was charged with treason and remained imprisoned for ten years and now he has become Chief Minister of Jammu and Kashmir though he is not a congressman. Now C. P. I. has become your ally though they were not with you in 1930 and in 1942. The Jan Sangh always stood side by side with you whenever there was a danger to the country. I went to jail in Goa during the Goa *Satyagraha*. We launched a satyagraha against the giving away of our land in Kutch area. On the Kashmir issue our leader laid down his life. What was Shri Vajpayee summoned by the Prime Minister in 1971 from the hospital? I commend the

[Shri Jagannathrao Joshi]

confidence shown in him by the Prime Minister. Ruling Party and the opposition are two eyes of democracy which see only the national interest. We want a strong India, we want a strong centre. We do not want pulverisation of our country. We want a strong leader but it does not mean that the opposition leaders should be put in jail. In 1971 Shri Atal Bihari Vajpayee wrote a letter to the Prime Minister congratulating her for action in Bangladesh. While their communist ally had their reservations, I was the first to congratulate the P.M. We supported fully the atomic explosion. Let them cite any subersive activity indulged in or illegal act done by Bhartiya Jan Sangh since its inception in 1951.

Why don't you tell us what was the action committee going to do? It has been carrying on a peaceful programme for the last two years. It is a normal practice to hold rallies in a democracy. As regards incidents in Patna on 18th March, a Communist M.L.A. was apprehended red handed. Do we have a right to hold peaceful demonstrations in this country or not? If you feel that some objectionable programme is being launched, hold a trial in a court of law, place the evidence before it and punish him if found guilty.

During her election campaign in Gujarat, the Prime Minister said that Jan Sangh was responsible for the murder of Mahatma Gandhi. An attempt goes on to create such an atmosphare since 1948. We kept quite when houses were burnt in various villages in Satara, Kohlapur Districts. Did anybody refer to it? Mr. Jaya Prakash Narayana could not see eye to eye with us in 1948. When he observed us closely he realised our sincerity.

The Congress President went to the extent of threatening that if Jan Sangh does not behave, it will be banned.

सभापति महोदय: अब आप अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यदि आप मुझे अपने विचार व्यक्त नहीं करने देंगे तो यह बहुत अनुचित होगा। यदि मैं कोई असंगत बात कहता हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

सभापति महोदय : आज प्रातः अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए 6 घंटे नियत किये थे। विभिन्न दलों के लिये समय नियत किया गया है। उन्हें 13 मिनट दिये गये थे परन्तु वे 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : अभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है और समय नियत किया जाना है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए अन्यथा निर्दलीय सदस्यों के लिये समय नहीं रहेगा।

श्री एच० एम० पटेल (धंधुका) : विरोधी पक्ष के सदस्यों को अधिक समय देना वांछनीय हैं ताकि वे बता सकें कि वे क्यों आपातकाल की घोषणा को स्वीकार नहीं करते। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमें यथा संभव अधिकतम समय देने के लिये सहमति दें।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे मालूम नहीं कि समय नियत करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक क्यों नहीं हो सकी। मैं समझती हूं कि थोड़ा समय और दिया जा सकता है परन्तु अधिकतम संभव समय नहीं।

सभापति महोदय : आप पांच मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया है कि यदि इन नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो बड़ा अनर्थ हो सकता था। यदि आप मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिये समय नहीं देंगे तो मेरा यहां आना ही बेकार होगा।

I mean to say when people did not stand with you during the period from 1948 to 1975, is it democracy to suppres the voice of all with the help of police and military?

प्रश्न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने का नहीं है, प्रश्न तो यह है कि इस बात का निर्णय कौन करेगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलाप देश के लिये हानिकर हैं अथवा नहीं ? लोकतंत्र में हर एक को सहमत और असहमत होने और न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है। (व्यवधान)

I would like to ask a question: whether emergency was not there after 1962 and after 1971 and why this method should have been adopted now for implementation of 21 point-programme? You were not prepared to change the leadership and that is why it has been done.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): Mr. Chairman, it was high time to proclaim emergency. Different sections of the country have supported it. People have welcomed the wise, bold and timely step taken by the Prime Minister. Therefore, she deserves to be congratulated. Today, the peoples' representatives of Indian Parliament have again assembled here to extend their support.

The question is why we support it. The Prime Minister had herself stated, while declaring the state of emergency, that we are bringing the democratic republic of this country back on the rail.

It was also necessary because a small group, consisting of ex-princes, Jana Sangh, RSS and other persons as also the political parties possessing the fascist ideology, some frustrated politicians together tried to murder democracy and remove the confidence of the people of the country, from the democratic rule and to capture the power in their own hands. Therefore, the state of emergency was very essential to safeguard the democracy.

[Shri Bhagwat Jha Azad]

(SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*)

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए]

Mr. Chairman, the conspiracy to break the edifice of democratic republic has been going on for the last several years and the Prime Minister had time and again drawn the attention of the country towards this conspiracy in and outside the House and stated that some miscreants, misdirected politicians and facist group want to create chaos in the country. When it crossed the limit, the Government having massive mandate and its Prime Minister realised their duty and in order to discharge her duty the Prime Minister had to take recourse to it, though she did not want.

When the reactionary forces and the parties like Jana Sangh which do not believe in democratic republic defeated in the elections of 1971, these forces started the 'Indira Hatao' campaign and also obstructed the functioning of this Parliament. Inspired by the Duryodhana of the present Mahabharat these people created trouble in the peaceful state of Bihar and burnt down the offices of 'Searchlight' and 'Pradeep'. Therefore, what the Prime Minister has done is something very bright.

When Shri Jayaprakash Narayan and his followers failed to get popular support, they shifted to the neighbouring States and tried to mislead the people there. They tried to muster the subersive forces and anti-national elements in the country under the garb of a total revolution. The call to gherao the Assembly and the Secretariat was aimed at creating anarchy and an atmosphere of hatred in the country. They not only encouraged indiscipline among the students but also called upon the police and the army not to obey orders but who will decide the propriety of orders.

It is well known that the Anand Margi's engineered a number of murders in the country. They were also conspiring to blow up the Assembly. Is it not a fact that Shri Jayaprakash Narayan and his supporters had given a good certificate to the Anand Margis? Now when we have frustrated their designs we are being dubbed as ruthless and dictatorial in our attitude. How can any Government remain a silent spectator to such violent activities?

Shri Joshiji has said that they carry only wooden swords. It was trying to throw dust on the eyes of the people. In the raids on their offices, a large number of swords, kirpans and other material have been recovered which proves that the paramilitary force of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh was being organised with a view to create an atmosphere of violence and hatred in the country which no Government worth its name can tolerate.

As regards the judgement given by the Allahabad High Court we have accepted it. But it was not understood why the slogans of 'Prime Minister should resign' were raised when the court had granted a 20 days stay. A propaganda was also started that the people of the country are against the Congress and the Prime Minister. But the massive demonstration held in favour of the Prime Minister at her residence has shown the hallowness of their propaganda. In the recent elections in Gujarat we have got 41 per cent votes whereas all the opposition parties together got only 34 per cent votes. Even then they say that the command majority there. Is it not strange?

From what has been going on in the country for the past few years, it has **become evident that there is a big conspiracy to overthrow the elected Govern**ment and murder democracy. Certainly this could not be overlooked for a long **time and ultimately the Prime Minister had to take this step reluctantly, which we support wholeheartedly.**

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं श्री जगजीवनराम द्वारा पेश किये गये संकल्प का विरोध करता हूं। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड 1 के अधीन 25 जून, 1975 को आपातस्थिति की घोषणा की । इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत 3 दिसम्बर, 1971 को भी आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी । पर उस वर्ष आपात की घोषणा करने से पूर्व विरोधी पक्ष को विश्वास में लिया गया था। हमें 2 दिसम्बर, की रात को प्रधान मंत्री ने नार्थ ब्लाक में बुलाया था और सारी स्थिति से अवगत कराया था। लेकिन इस बार आपातस्थिति की घोषणा रेडियो पर सुनाई गई। 1971 में घोषित आपात स्थिति का सदन ने एकमत होकर समर्थन किया था । क्योंकि हम सब सरकार द्वारा उठाये गए इस कदम से आश्वस्त थे । वह वातावरण इस बार कहां चला गया ? आपातस्थिति का समर्थन करने वालों को आर्थिक कार्यक्रमों का समर्थक माना जा रहा है और विरोध करने वालों को उनका विरोधी । मैं इस 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करता हूं।

1971 में जब आपातस्थिति के अनुमोदन के लिए विधेयक लाया गया तो कहा गया था कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जायेगी आपातस्थिति समाप्त कर दी जायेगी । बंगलादेश युद्ध समाप्त हो गया, वहां से आये शरणार्थियों को बसा दिया गया। शिमला समझौता हो गया । पर अब भी वह आपात स्थिति जारी है । वह समाप्त नहीं हुई है । क्यों ? इसलिये कि आपात स्थिति के नाम पर अनेक कार्य किये जा सकते हैं । जिनको इसके अधीन शक्तियां प्राप्त हैं वे उनसे वंचित होना नहीं चाहते ।

समाचारपत्रों और रेडियो में यह कहा जा रहा है कि इस समय देश बहुत ही गम्भीर स्थिति का सामना कर रहा है । आर्थिक अपराधों का हवाला दिया जा रहा है । आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाये जाने का हम पहले से ही समर्थन करते आये हैं । कानून के साथ-साथ इसके लिए राजनीतिक प्रेरणा की जरूरत भी होती है जिसका कि अभाव रहा है । जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा राजाओं की निजी थैलियां समाप्त की गई तो हमने उसका पुरजोर समर्थन किया ।

*इस आपातकालीन स्थिति में सरकार कौन सा उद्देश्य सिद्ध करना चाहती है ? उसने भूमि सुधार, भूमिहीनों में भूमि वितरण, बेघर लोगों को मकान देने आदि सम्बन्धी कार्यों की पूर्ति के लिए एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है । क्या यह कार्यक्रम आपातकालीन स्थिति की घोषणा किये बिना अमल में नहीं लाये जा सकते थे ? तमिलनाडु में आपातस्थिति की घोषणा किये बिना लाखों मकान बनाए गये हैं और लोगों को आवंटित किये गये हैं।

इस सभा के अनेक सदस्यों को नजरबन्द किया गया है । पर उसका कोई कारण नहीं दिया गया है ।

सभापति महोदय : आपके दल को 12 मिनट दिये गये थे । कृपया अगले तीन मिनटों में अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें ।

श्री सेझियान : धन्यवाद । (व्यवधान)

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये ।

श्री पी० के० देव : मंत्री जी ने कहा है कि उचित समय दिया जाये ।

सभापति महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं । एक भी शब्द आपका रिकार्ड में नहीं जायेगा ।

श्री सेझियान : यह माना जा सकता है कि जे० पी० ने सेना और पुलिस को उकसाया है और उससे देश को हानि पहुंच सकती है । सरकार को चाहिए कि वह श्री जयप्रकाश को न्यायालय में पेश करे उनका अपराध सिद्ध करे और अपराध सिद्ध होने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे । हम सभी आज सारे दिन इसी को वकालत करते आ रहे हैं । यदि कोई संगठन इस देश की जनता के हितों के विरुद्ध है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । पर यह कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से किय जाना चाहिए । अब मैं यहां उपस्थिति सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब देश के प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता कम हो जायेगी, खतरे में पड़ जायेगी । अनेक देशों का यही दुर्भाग्य रहा है । स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन है । पर अगर वह एक बार छिन गई तो उसे दुबारा प्राप्त करना और भी कठिन है ।

लोकतंत्र में यदि कार्यपालिका कोई गलत कार्य करती है तो उस पर अंकुश लगाया जाता है । पर यदि तानाशाही में कोई गलत कार्य करता है तो उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता । क्योंकि यह कहा गया है कि संसदीय लोकतंत्र अभी भी सबसे उत्तम व्यवस्था है । पर हम सब को वर्तमान स्थिति में वे सभी अवसर प्राप्त न हों जो पहले प्राप्त थे । लोकतंत्र केवल बहुमत से ही कार्य नहीं करता । अगर ऐसा होता तो कार्यपालिका को जिन 360 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है उनके समर्थन से ही वह इस देश के भाग्य का फैसला कर सकते थे । और हम इस सभा को बन्द कर सकते थे । पर लोकतंत्र में अल्पमत का भी स्थान होता है । उसका भी महत्व होता है । इसीलिए संसद में दोनों पक्षों का अपना अपना स्थान होता है । संसद एक विचारक संस्था है । यदि जो घटनाऐं बाहर घट रही हैं उन्हें हम यहां नहीं उठा सकते तो इस सभा का क्या उपयोग है ।

मैं यह मानने को तैयार हूं कि जो कुछ किया गया है वह पूर्णतः संवैधानिक है । संविधान के अन्तर्गत आप जो काम करते हैं वह कानूनी हो सकता है पर वह सदैव लोकतांत्रिक नहीं होता । लोकतंत्र संवैधानिक भावना से भी ऊपर है। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ केवल सरकार का स्वरूप एवं संवैधानिक प्रक्रिया ही नहीं है । लोकतंत्र की भावना भी उसमें होनी चाहिये । विपक्ष नेताओं के प्रति आदर और विपक्ष के मत को मान्यता देने की भावना होनी चाहिए । जब तक देश में मुक्त रूप से सरकार की अलोचना करने तथा अहिंसा के मार्ग से सरकार बदलने का अवसर प्राप्त नहीं होगा तब तक लोकतंत्र को कायम नहीं रखा जा सकता, केवल उसके रूप को ही कायम रखा जा सकता है ।

इस सभा के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ही इस बात को जानती है कि उन्हें किन आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। कई तस्कर अभी तक फरार हैं। अधिकांश तस्कर आज भी समाजविरोधी गतिविधियों में लगे हैं। लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। क्या गिरफ्तार किये गये इस सभा के सदस्यों ने उन तस्करों से भी गम्भीर अपराध किया है ? मैं यह याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आज एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीनी जाती है तो वह दिन दूर नहीं जब हम में से हर एक की स्वतन्त्रता छीन ली जायेगी।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : विपक्ष के सदस्यों ने कहा है कि आपातकालीन स्थिति लागू करने से पहले हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता थी और संविधान के अन्तर्गत अधिकार तथा स्वतन्त्रता प्राप्त थी। बोलने की आजादी तथा मूलभूत अधिकार निःसन्देह महत्वपूर्ण थे पर देश के सामने वास्तव में क्या स्थिति थी ? कितने प्रतिशत लोगों को ये अधिकार प्राप्त थे ? वकील पेशे के लोग इस बात को अच्छी प्रकार जानते हैं कि सर्वसाधारण के अधिकारों का हनन करने के लिए इन अधिकारों का किस प्रकार उपयोग किया जाता था। आम लोगों के लिए मूलभूत अधिकार साध्य नहीं बल्कि स्वस्थ समाज की रचना के लिए एक साधन होने चाहिए ताकि समाज में वे सुरक्षित अनुभव करें, उचित मूल्यों पर उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों। वे लालफीताशाही से मुक्त हो सकें तथा बिना किसी दबाव के मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकें। क्या आपातस्थिति लागू होने से पहले देश में यह स्थिति थी ?

विरोधी दलों के सदस्यों ने वाक स्वातन्त्र्य की बात कही है हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति भी आ गई थी जब लोग अपने आपको असहाय अनुभव करने लगे थे और समाजविरोधी तत्वों के डर से अपने विचार स्वतन्त्र रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। यहां तक कि विधायकों को भी विधानमण्डलों के बाहर अपनी इच्छा से अपने विचार व्यक्त नहीं करने दिये गये। हम बिहार और गुजरात में जो घटनाएं घटीं उनसे भी परिचित हैं।

(श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए)

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपातस्थिति लागू होने से पहले लोग वस्तुतः और प्रभावी ढंग से अपने विचार व्यक्त कर सकते थे ? क्या विरोधी दलों ने आवश्यक वस्तुओं को उचित दरों पर जनता को उपलब्ध करने के लिए वातावरण तैयार करने में कभी सरकार की मदद की ?

जिन नेताओं ने हड़ताल आरम्भ करवाई उन लोगों का इसके पीछे उद्देश्य क्या था ? क्या यह श्रमिकों की हालात में सुधार लाने के उद्देश्य से करवाई का गई थी ? यह उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है अगर हम श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा 29 मार्च, 1974 को मद्रास में दिया गया भाषण पढ़ें। उन्होंने कहा था कि अगर रेल हड़ताल सात दिन तक चल जाये तो देश का प्रत्येक तापीय केन्द्र बन्द हो जायेगा। अगर हड़ताल दस दिन चले तो देश का प्रत्येक इस्पात कारखाना बन्द हो जायेगा और अगले 12 महीनों के लिये देश के सभी उद्योग बन्द हो जायेंगे। अगर इस्पात मिल भट्टी एक बार बन्द हो जाये तो उसे पुनः चालू करने में 9 महीने लग जायेंगे।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी]

15 दिन की रेल हड़ताल से देश भूखा मरने लगेगा। यह उनका भाषण है। वह देश को भूखा मारना चाहते थे। विपक्षीय दलों ने ऐसे व्यक्ति का साथ दिया। इस हड़ताल का समर्थन किया।

दुर्भाग्य से देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जिस से आम आदमी का मौलिक अधिकारों अथवा संवैधानिक अधिकारों से दूर का सम्बन्ध भी नहीं रहा है। विपक्षी दलों ने जनता में निराशावाद की भावना को जन्म दिया है। इसलिये आपात्तकाल की घोषणा के पश्चात भी उसके विरुद्ध आम आदमी ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। इस सम्बन्ध में जनसाधारण की दो शिकायतें हैं। पहली कि इसे पहले ही क्यों नहीं लागू किया गया ताकि वह साल भर तनावहीन वातावरण में जी सकते। अगर ऐसे ही स्थिति में हम तनावहीन वातावरण में रह सकते हैं, हम सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को खरीद सकते हैं; कार्यालय नियमित रूप से 10 बजे से शांय पांच बजे तक कार्य कर सकते हैं और हमारे बच्चे चैन से स्कूल आ जा सकते हैं और परीक्षाएं दे सकते हैं तो हम चाहते हैं कि इस स्थिति को निरन्तर बनाये रखा जाये। मैं इस प्रकार की प्रतिक्रिया से प्रसन्न नहीं हूं। किन्तु जब जनसाधारण की यह प्रतिक्रिया है तो हमें अपने हृदयों को टटोलना चाहिये और देखना चाहिये कि जन साधरण की ऐसी प्रतिक्रिया क्यों है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद जन साधारण में से किसी ने अपने कष्टों की शिकायत नहीं की। अपितु उन्होंने राहत की सांस ली है। विपक्षी दल गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाते रहते हैं कि जन साधारण के लिये संवैधानिक, मौलिक और कानूनी अधिकार नहीं है किन्तु इन लोगों ने समाज में कभी भी ऐसा वातावरण तयार नहीं किया जिसके अन्तर्गत यह अधिकार उनको मिल सकें। बल्कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जिस में लोगों को यह भी पता नहीं कि उनके लिये कुछ अधिकारों का अस्तित्व भी है अथवा नहीं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई है जिन में जन साधारण की भावनाएं निराशापूर्ण है। मैं ऐसे मामलों को जानता हूं जिनके अन्तर्गत किसी अपराधी कर्मचारी को दण्डित करने के लिये उसे नौकरी से हटाने के आदेश भी पारित हो गये थे किन्तु ऐसा आन्दोलन किया गया कि वह आदेश वापिस लेना पड़ा। एक कुली ने एक मुसाफिर पर आक्रमण किया किन्तु कुली को दण्डित नहीं किया जा सका क्योंकि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि वह आदेश वापिस लेना पड़ा। मैं जानता हूं कि कुलियों के हितों और अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये किन्तु यात्रियों का अधिकार भी यह है कि उनकी रक्षा हो। किन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जिसमें अनुशासन और कानून और व्यवस्था अतीत की वस्तु बन कर रह गये हैं। मैं इन स्थितियों के लिये सारे विपक्षी दलों को उत्तरदायी नहीं ठहरा रहा हूं। किन्तु यह जानबूझ कर किया जा रहा है क्योंकि जब 1971 में विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि सत्ता हथियाने के दो ही तरीके हैं एक तो यह कि प्रधान मन्त्री की जादूई प्रतिष्ठा को समाप्त किया जाये तथा दूसरे जनता के हृदय में ये विश्वास की कमी लाकर और समाज में अस्थिरता लाकर। इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी जिस में लोकतन्त्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। मैं श्री जयप्रकाश नारायण जी को उदधृत करना चाहता हूं :—

"उग्र जनता की क्रान्ति तभी सफल हो सकती है अगर सेना और पुलिस विद्रोह करे जैसा कि रूस की क्रान्ति में हुआ।"

वह आगे कहते हैं :—

"क्रान्ति चाहे वह शान्तिपूर्ण ढंग से हो अथवा हिंसात्मक चुनाव अथवा संसद अथवा विधान सभा के माध्यम से नहीं हो सकती यह तो लोगों द्वारा ही की जा सकेगी।"

अतः वह सरकार में परिवर्तन संसदीय उपायों से नहीं बल्कि एक क्रान्ति चाहते थे जिसके लिये उन्होंने सेना और पुलिस को भड़काने का प्रयत्न किया।

यदि हम आपात स्थिति से पहले इस देश में व्याप्त परिस्थिति का विश्लेषण करें तो हमें यह पता चलेगा कि यहां आपातस्थिति की घोषणा करना आवश्यक हो गया था इसी कारण हमें यहां के लोगों में एक नया उत्साह परिलक्षित हुआ है। निःसन्देह इससे हमारे ऊपर भारी जिम्मेदारी आ गई है और हम इसके प्रति सजग हैं। मैं सृजनशील कार्यक्रम में विश्वास करने वाली भारत की समृद्धी में विश्वास रखने वाले विपक्षी सदस्यों से अपील करता हूं कि अतीत की घटनाओं को नजर अन्दाज करते हुए वे हमें सहयोग दें तथा आर्थिक कार्यक्रमों में जो हमने आरम्भ किये हैं हमारा हाथ बटाने तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रयासों को विफल बनाये।

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर): सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे दल ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण देश की शान्ति और अखण्डता को कोई खतरा हो। वास्तव में देश में स्थिति बिल्कुल ही सामान्य थी। गुजरात के चुनावों में सभी दलों ने भाग लिया। यह चुनाव कांग्रेस के विरुद्ध गया। अतः 12 जून को चुनाव परिणाम कांग्रेस के विरुद्ध गये और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया यह प्रधान मन्त्री के विरुद्ध था।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह कांग्रेस के लिये बड़ा बुरा दिन था।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : यह निर्णय विपक्ष का नहीं था यह तो एक स्वतन्त्र न्यायपालिका का निर्णय था। यह कहा गया है कि विपक्षी नेताओं में षड़यन्त्र चल रहा है यह पूर्णतः गलत है। वे जो कुछ कर रहे हैं। वह खुले आम कर रहे हैं।

लोगों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है। क्या विपक्षी दलों का यह कर्तव्य जनता की कठिनाईयों को प्रकाश में लाना और सत्ताधारी दल के विरुद्ध जनता की भावना को उभारना है जो भली प्रकार शासन नहीं कर रही है।

सत्ताधारी दल के आंतरिक झगड़ों और सभी राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता ने लोगों के विश्वास को डिगा दिया। ऋणभार प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और यह विपक्ष ने नहीं बढ़ाया।

आज संविधान की क्या स्थिति हो रही है। सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य कर रही है किन्तु भारत के नागरिकों के लिये यह सब व्यर्थ है। इसलिये देश में आपात स्थिति की घोषणा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि स्थिति बिल्कुल सामान्य है। श्री मोरारजी देसाई ने गुजरात में चुनाव कराने के लिये प्रयत्न किया था। उस समय उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि आंसुका के अंतर्गत किसी राजनतिक नेता की गिरफ्तारी नहीं की जायेगी किन्तु उसके पश्चात त्रिपुरा विधान सभा के सदस्यों की आंसुका के अंतर्गत गिरफ्तारी की गई। अब श्री मोरारजी देसाई तथा अन्य संसद सदस्यों को आंसुका के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। अतः सरकार उस आश्वासन से मुकर रही है।

[श्री प्रसन्न भाई मेहता]

यदि श्री जयप्रकाश नारायण राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न थे तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। उन्हें न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये और उन्हें यह सिद्ध करने का अवसर दिया जाना चाहिये कि वह दोषी हैं अथवा नहीं। किन्तु यहां तो जनता के और जन नेताओं के अधिकार छीन लिये गये हैं।

मैंने माननीय सदस्यों को यह कहते सुना है कि लोगों ने राहत की सांस ली है किन्तु आप जाकर लोगों की भावनायें देखिये। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लोग इतने भयभीत हो गये हैं कि वे पुलिस के किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछते हुए डरते हैं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप ऐसा कहने में सफल नहीं हो सकते। इतने विशाल देश में यह नामुमकिन है।

श्री प्रसन्न भाई (प्रतोल) : यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपात स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि अनेक गिरफ्तारियां की गई है किन्तु उनमें राजनीतिक गिरफ्तारियां बहुत कम हुई। अधिकांश गिरफ्तारियां आर्थिक अपराधों के अंतर्गत की गई हैं। आज व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन का रोना रोया जा रहा है किन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की जिम्मेवारी किस पर है? उस समय ये लोग कहां थे जब लोकतंत्र के नाम पर लोगों का जनता के प्रतिनिधियों का घेराव किया जा रहा था। उनका मुंह काला करके गधे पर बैठाकर गलियों में घुमाया जा रहा था। उस समय इन लोगों ने इसकी निन्दा नहीं की। क्या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी? हमें अपने दिलों को टटोलना चाहिये और हमें देखना चहिये कि यहां संसद में प्रतिदिन जो गैर विषयों पर समय नष्ट किया जाता था क्या वह संसदीय पद्धति का मजाक नहीं था। मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि जब हम संसद में और संसद के बाहर लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुले हुए थे तो क्या यह संसदीय लोकतंत्र का सम्मान था? क्या हम संसद को उत्तरोत्तर निरर्थकता की ओर नहीं ले जा रहे थे?

एक माननीय सदस्य ने गुजरात के चुनावों का उल्लेख किया है। जब श्री मोरारजी देसाई का जीवन बचाने के लिये प्रधान मंत्री ने गुजरात में चुनाव कराने की मांग का स्वीकार कर लिया तो कांग्रेस के विरुद्ध घृणा फैलाने का अभियान चालू किया गया। कांग्रेस की किसी भी सभा को शान्ति के साथ नहीं होने दिया गया। प्रतिपक्ष द्वारा उकसाए गये युवा लोगों द्वारा फेंके गये पत्थरों का मैं भी शिकार बना। आप सरकार के कार्यकलापों को अस्तव्यस्त करना चाहते थे। चिली में भी यही हुआ था। वहां पहले संचार व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया गया और इस के बाद सशस्त्र सेनाओं से विद्रोह कराया गया। वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति को गोली से उड़ा दिया गया। आप भारत में इसी तरह की स्थिति लाना चाहते थे। अब यह स्वीकार किया गया है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत में चिली जैसी अस्थिरता लाना चाहती थीं। आप लोग भी जानबूझकर अथवा अनजाने ही उनके इस जाल में फंस रहे थे। आन्दोलन के दिनों में गुजरात में क्या हुआ है? वहां बसें जलाई गई, रेलों को रोका गया, डाकखाने जलाये गये, पुलिस स्टेशनों पर अधिकार किया गया। एक आतंक का वातावरण उत्पन्न किया गया। क्या आप देश को इधर ले जाना चाहते थे क्या आप यह आशा करते हैं कि कोई भी सरकार इस प्रकार की बातों को अधिक देर के लिये सहन करेगी। यह आर०एस०एस० की बात कही गई है। मैं पूछता हूं कि जब 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय उसका आदर्श क्या हिटलर नहीं माना गया था?

एक माननीय सदस्य : 1925 में तो हिटलर सत्तारूढ़ नहीं हुआ था।

श्री वसन्त साठे : मुझे मालूम है। मैं उसके सत्तारूढ़ होने की बात नहीं कर रहा हूं। आप हिटलर की तरह सोचते हैं और हिटलर की तरह सत्तारूढ़ भी होना चाहते हैं। आपने युवा व्यक्तियों में शिवाजी और राणा प्रताप का आदर्श भरकर उनकी विचारधारा का निर्माण करना चाहा जिसमें मुसलिम और ईसाइयों के प्रति घृणा का पाठ पढ़ाया गया। अतः कपूर आयोग में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ यह नहीं है कि आर०एस० एस० गांधी जी की हत्या के लिये सीधा उत्तरदायी है उसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार की विचारधारा का यह प्रचार कर रहा था उससे गोडसे जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। यही बात आप और आनन्द मार्गी कर रहे थे। धर्म की आड़ में घृणा फैला रहे थे जिससे युवा लोग धर्मान्ध हो कर खतरनाक गतिविधियों में संलग्न हो रहे थे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या की योजना बनाई गई थी। अतः प्रधान मंत्री ने सही समय पर आपातकालीन स्थिति लागू करके इस कदम को उठाया। हमने पहले भी यह सुझाव दिया था कि संसद के लम्बे सत्रों के स्थान पर समिति पद्धति लागू कर दी जाये जो मामलों पर गहराई से विचार करे और सरकार को प्रभावित करे। यह उचित समझा है कि हम अपनी संसदीय पद्धति में कुछ सुधार लागू करें ताकि यह प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

सभापति महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को मध्य प्रदेश पुलिस, जिला पन्ना के उप-निरीक्षक से दिनांक 20 जुलाई, 1975 की निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :—

> "पन्ना (मध्य प्रदेश) के जिलाधीश के आदेश संख्या 1/सी० एस० टी०/653/75 दिनांक 18 जुलाई, 1975 के अनुसार संसद सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह को 20 जुलाई, 1975 को आंसुका के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।"

अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 22 जुलाई, 1975/31 आषाढ़ 1897 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, July 22, 1975/Asadha 31, 1897 (Saka).

GMGIPND—M—213 L S —1 C. 1942—200

... NT LIBRARY
274(7)
3.10.75

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary from of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of Speeches etc. in English/Hindi.

1291 LS—1.